



राजस्थान सरकार

बेगूँ मास्टर प्लान

(2006—2033)

(राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत तैयार किया गया)

नगर नियोजन विभाग

राजस्थान जयपुर

योजना दल

श्री पी.के. पाण्डेय	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर (30 मई, 2010 तक)
श्री एच.एस. संचेती	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
श्री के.सी. मिश्रा	अति. मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), राजस्थान, जयपुर (मई 2009 तक)
श्री एन.के. खरे	अति. मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), राजस्थान, जयपुर
श्री आर.पी. शर्मा	अति. मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), राजस्थान, जयपुर (जून, 2010 तक)
श्री बी.एस. कानावत	वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर
श्री आर.सी. कविया	उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर (जून 2006 तक)
श्री अरुण चतुर्वेदी	उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर
श्री बी.डी. जाट	उप नगर नियोजक (मास्टर प्लान), मुख्यालय, जयपुर
श्री मोहम्मद अय्यूब	सहायक नगर नियोजक (मास्टर प्लान), मुख्यालय जयपुर (अप्रैल, 2010 तक)
श्री राजेश वर्मा	सहायक नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर
श्री जगदीश कलवार	सहायक नगर नियोजक (मास्टर प्लान), मुख्यालय, जयपुर
श्री महेन्द्र सिंह परिहार	सहायक नगर नियोजक (कार्य), उदयपुर जोन, उदयपुर (अक्टूबर, 2009 तक)
श्री बाबूलाल	अनुसंधान सहायक, उदयपुर जोन, उदयपुर

अनुसंधान शाखा

श्री डी.सी. उपाध्याय	अनुसंधानकर्ता ग्रेड द्वितीय, उदयपुर जोन, उदयपुर
श्रीमती आशा शर्मा	अनुसंधानकर्ता ग्रेड द्वितीय, मुख्यालय, जयपुर

मानचित्र शाखा

श्री मनमोहन कुमावत	वरिष्ठ प्रारूपकार, उदयपुर जोन, उदयपुर
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	कनिष्ठ प्रारूपकार, मुख्यालय, जयपुर
श्री अब्दुल हफीज	कनिष्ठ प्रारूपकार, उदयपुर जोन, उदयपुर
श्री विनोद सुखवाल	कनिष्ठ प्रारूपकार, उदयपुर जोन, उदयपुर

मंत्रालयिक शाखा

श्री रविशंकर सचदेवा	निजी सहायक, उदयपुर जोन, उदयपुर
---------------------	--------------------------------

तालिका—सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, बेगूँ — 1901—2006	7
2.	व्यावसायिक संरचना, बेगूँ — 1991—2001—2006	9
3.	विद्यमान भू—उपयोग, बेगूँ — 2006	11
4.	औद्योगिक संरचना, बेगूँ — 2006	14
5.	सरकारी एवं अर्द्ध—सरकारी कार्यालय, बेगूँ — 2006	15
6.	शैक्षणिक संरचना, बेगूँ — 2006	16
7.	चिकित्सा सुविधाएँ, बेगूँ — 2006	17
8.	जलापूर्ति कनेक्शनों का वितरण, बेगूँ — 2006	19
9.	विद्युत कनेक्शनों का वितरण, बेगूँ — 2006	20
10.	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान, बेगूँ — 1981—2033	26
11.	व्यावसायिक संरचना, बेगूँ — 2033	27
12.	योजना क्षेत्र, बेगूँ — 2033	29
13.	प्रस्तावित भू—उपयोग, बेगूँ — 2033	34
14.	प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का वितरण, बेगूँ — 2033	38
15.	प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना, बेगूँ — 2033	44
16.	प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार, बेगूँ — 2033	48
17.	प्रस्तावित प्रमुख चौराहा विकास, बेगूँ — 2033	50

विषय-सूची

अध्याय क्रम	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
	योजना दल	(i)
	तालिका-सूची	(ii)
1.0	परिचय	1
2.0	विद्यमान विशेषताएँ	4
2.1	भौतिक स्वरूप एवं जलवायु	
2.2	क्षेत्रीय परिपेक्ष्य	
2.3	ऐतिहासिक	
2.4	जनांकिकी	
2.5	व्यावसायिक संरचना	
2.6	विद्यमान भू-उपयोग	
2.6 (1)	आवासीय	
2.6 (1) अ	आवासन	
2.6 (1) ब	कच्ची बस्तियाँ	
2.6 (2)	वाणिज्यिक	
2.6 (3)	औद्योगिक	
2.6 (4)	राजकीय – सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय	
2.6 (5)	आमोद-प्रमोद	
2.6 (6)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ	

2.6 (6) अ	शैक्षणिक सुविधाएँ	
2.6 (6) ब	चिकित्सा सुविधाएँ	
2.6 (6) स	सामाजिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल	
2.6 (6) द	अन्य सामुदायिक सुविधाएँ	
2.6 (6) य	जनोपयोगी सुविधाएँ	
2.6 (6) य	(i) जलापूर्ति	
2.6 (6) य	(ii) जल-मल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन	
2.6 (6) य	(iii) विद्युत	
2.6 (6) र	श्मशान एवं कब्रिस्तान	
2.6 (7)	परिसंचरण	
2.6 (7) अ	यातायात व्यवस्था	
2.6 (7) ब	बस एवं ट्रक टर्मिनल	
2.6 (7) स	रेल एवं हवाई सेवा	
3.0	नियोजन की संकल्पना	22
3.1	नियोजन की नीतियाँ	
3.2	नियोजन के सिद्धान्त	
4.0	भावी आकार	26
4.1	जनांकिकी	
4.2	व्यावसायिक संरचना	
4.3	नगरीय क्षेत्र	

4.4	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	
4.5	योजना क्षेत्र	
	(अ) किला योजना क्षेत्र	
	(ब) उपखण्ड कार्यालय योजना क्षेत्र	
	(स) परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र	
5.0	भू-उपयोग योजना	32
5.1	आवासीय	
5.2	वाणिज्यिक	
5.2 (1)	शहरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां	
5.2 (2)	वाणिज्यिक केन्द्र (सी.सी.)	
5.2 (3)	विशिष्ट एवं थोक व्यापार	
5.2 (4)	गोदाम एवं भण्डारण	
5.3	औद्योगिक	
5.4	राजकीय – सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय	
5.5	आमोद-प्रमोद	
5.5 (1)	उद्यान, खुले स्थल, खेल मैदान एवं स्टेडियम	
5.5 (2)	अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजन	
5.5 (3)	मेले/पर्यटन सुविधाएँ	
5.6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ	
5.6 (1)	शैक्षणिक सुविधाएँ	
5.6 (2)	चिकित्सा सुविधाएँ	

- 5.6 (3) सामाजिक / सांस्कृतिक
- 5.6 (4) धार्मिक / ऐतिहासिक स्थल
- 5.6 (5) अन्य सामुदायिक सुविधाएँ
- 5.6 (6) जनोपयोगी सुविधाएँ
- 5.6 (6) अ जलापूर्ति
- 5.6 (6) ब जल-मल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन
- 5.6 (6) स विद्युत
- 5.6 (7) श्मशान एवं कब्रिस्तान
- 5.7 परिसंचरण
- 5.7 (1) प्रस्तावित यातायात संरचना
- 5.7 (1) अ सड़कों का सुधार
- 5.7 (1) ब प्रस्तावित चौराहा एवं चौराहा सुधार
- 5.7 (1) स पार्किंग व्यवस्था
- 5.7 (2) बस एवं ट्रक टर्मिनल
- 5.7 (3) रेल एवं हवाई सेवा
- 5.8 परिधि नियंत्रण पट्टी

6.0

मास्टर प्लान का क्रियान्वयन

53

- 6.1 प्रस्तावित आधार
- 6.2 जन सहभागिता एवं जन सहयोग

- 6.3 भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति
6.4 उपसंहार
6.5 क्रियान्वयन परियोजना

परिशिष्ट –

- 1 (अ) राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण
1 (ब) राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण
2 राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.12.1997

1

परिचय

परिचय

बेगूँ कस्बा राजस्थान के सुदूर दक्षिण में, चित्तौड़गढ़ जिले के उत्तरी-पूर्वी भाग में स्थित है तथा यहां उपखण्ड एवं तहसील मुख्यालय स्थित है। यह कस्बा चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से 67 किलोमीटर दूर चित्तौड़-कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 पर स्थित काटून्दा चौराहे से 7 किलोमीटर एवं संभागीय मुख्यालय (उदयपुर) से 190 किलोमीटर दूर स्थित है। कोटा यहां से 120 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

बेगूँ कस्बे का इतिहास करीब 850 वर्ष पूर्व का रहा है। 16वीं शताब्दी में उदयपुर (मेवाड़) के तत्कालीन महाराणा लाखा को बेगूँ जागीरी के रूप में मिला एवं उन्होंने यहां शासन किया तथा बेगूँ में किले का निर्माण करवाया। स्वतंत्रता प्राप्ति तक यहां के राव-उमरावों ने इस कस्बे को विकसित करने में अपना प्रमुख योगदान दिया।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तक यह कस्बा किले के आसपास की पुरानी आबादी के रूप में विकसित था, परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कस्बे को उपखण्ड तथा तहसील मुख्यालय का दर्जा हासिल होने के पश्चात् इस कस्बे का विकास आसपास के क्षेत्र में तथा मुख्य रूप से काटून्दा मार्ग पर होने लगा। वर्ष 1955 में यहां हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा पुलिस थाना एवं पंचायत समिति भवन का निर्माण हुआ। साथ ही नगरपालिका एवं अन्य राजकीय कार्यालयों की स्थापना हुई। वर्ष 1973 में बेगूँ कस्बे में जल प्रदाय योजना एवं विद्युतीकरण योजना लागू की गयी।

वर्ष 1951 में यहां की जनसंख्या मात्र 5,428 थी, जो 2001 में बढ़कर 19,333 हो गई। पिछले दशकों में सर्वाधिक वृद्धि दर 37.93 प्रतिशत, 1981-91 के दशक में आंकी गयी है। वर्ष 1991-2001 के दशक के दौरान कस्बे की जनसंख्या वृद्धि दर में काफी कमी आयी और उससे पिछले दशक की 37.93 प्रतिशत की तुलना में घटकर वृद्धि दर 23.60 प्रतिशत रह गई। इसका मूल कारण इस कस्बे से रोजगार की तलाश में लोगों

का पलायन है। वर्तमान में कस्बे का कुल नगरीयकृत क्षेत्रफल 1.61 वर्ग किलोमीटर है। कस्बे का विकास बेतरतीब एवं अव्यवस्थित तरीके से हो रहा है। पुरानी बस्तियों में तंग सड़कें, अव्यवस्थित जंक्शन, अनियोजित एवं अव्यवस्थित वाणिज्यिक स्थलों के विकास के साथ-साथ ही इन क्षेत्रों में आधारभूत जन-सुविधाओं का अभाव होने के कारण यहां अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। शहर के बाहरी क्षेत्र में कृषि भूमि पर छितराये रूप में आवासीय विस्तार हो रहा है। इनमें भी मूलतः जन सुविधाओं का नितान्त अभाव है, एवं गंदे पानी की निकासी एवं जलप्रवाह प्रणाली की भी पूर्णतया कमी है, जिसके कारण आम जनता के सामान्य जन-जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कस्बे की बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं के अनुरूप तथा वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं की कमी आदि को देखते हुए कस्बे के सुनियोजित तरीके से विकास की आवश्यकता है। इसी आशय को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959, की धारा 3(1) के तहत दिनांक 31.12.1997 को एक अधिसूचना जारी कर बेगूँ सहित 11 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नगरीय क्षेत्र अधिसूचित कर अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), राजस्थान, जयपुर को कस्बे का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु निर्देशित किया है। नगर नियोजन विभाग द्वारा कस्बे का भौतिक एवं आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण किया गया तथा द्वितीय स्त्रोतों के माध्यम से आवश्यक सूचनायें संकलित कर मानचित्रों और विस्तृत आलेखों का रूप प्रदान किया गया, जो इस मास्टर प्लान तैयारी की आधारशिला बने एवं तदनुरूप बेगूँ के मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दिया गया। यह योजना आगामी 25 वर्षों की अवधि में विभिन्न नगरीय कार्यक्रमों के सम्बन्ध में आधारभूत आवश्यकताओं का एक प्रारूप प्रस्तुत करती है। योजना अवधि वर्ष 2033 तक के लिए निर्धारित की गयी है। इस योजना में नगर मानचित्र, सामान्यीकृत विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र, प्रस्तावित भू-उपयोग योजना मानचित्र 2033 एवं अधिसूचित क्षेत्र की सीमाओं को दर्शाने वाला नगरीय क्षेत्र मानचित्र सम्मिलित किये गये हैं।

नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत 30 दिवस की समयावधि में आम जनता से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु उक्त मास्टर प्लान

का प्रारूप दिनांक 25.11.2009 को प्रकाशित किया गया है एवं नगरपालिका बेगूँ में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मास्टर प्लान के प्रारूप पर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने के आशय की अधिसूचना स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित की गई। मास्टर प्लान के प्रारूप की प्रतियाँ सभी सम्बन्धित विभागों, जन प्रतिनिधियों, नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं, ग्राम पंचायतों को भी आपत्ति/सुझाव के लिये भेजी गई।

बेगूँ के मास्टर प्लान के प्रारूप पर कुल 21 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए। जिनके अन्तर्गत कुल 90 बिन्दुओं पर आपत्ति/सुझाव दर्ज किये। सभी आपत्ति सुझावों का विस्तृत अध्ययन एवं मौका निरीक्षण कर जांच के उपरान्त 2 आपत्ति/सुझाव स्वीकृत योग्य, 1 आपत्ति/सुझाव आंशिक स्वीकृत योग्य, 27 आपत्ति/सुझाव अस्वीकृत योग्य एवं 60 आपत्ति/सुझावों में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होना पाया गया।

इस प्रकार बेगूँ के मास्टर प्लान एवं भू-उपयोग योजना मानचित्र में स्वीकृत आपत्ति/सुझावों के मद्देनजर आंशिक परिवर्तन करते हुये मास्टर प्लान अन्तिम रूप से तैयार कर राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रदत्त प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

ह.

(एन.के. खरे)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान)
राजस्थान सरकार

२

विद्यमान विशेषताएँ

2

विद्यमान विशेषताएँ

बेगूँ कस्बा राजस्थान राज्य के दक्षिण एवं चित्तौड़गढ़ जिले के उत्तरी-पूर्वी भाग में मध्यप्रदेश राज्य की सीमा से लगता हुआ स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 पर स्थित काटून्दा चौराहे से 7 किलोमीटर दूर यह कस्बा चित्तौड़गढ़ से 67 किमी. की दूरी पर स्थित है। प्रशासनिक दृष्टि से यह कस्बा चित्तौड़गढ़ जिले का उपखण्ड मुख्यालय है। कस्बे का पश्चय क्षेत्र (Hinterland) कृषि प्रधान है। समतल धरातल एवं प्राकृतिक सौन्दर्य से सुसज्जित यह कस्बा उत्तर-पूर्व में कोटा एवं दक्षिण-पश्चिम में चित्तौड़गढ़ नगरों से भली-भांति सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है।

2.1 भौतिक स्वरूप एवं जलवायु :

यह कस्बा 24°59' उत्तरी अक्षांश और 75°01' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। कस्बे के आसपास का क्षेत्र समतल एवं खेती के लिए उपयुक्त है। उत्तर में गंगापुर तालाब स्थित है, जो कृषि के लिए अत्युत्तम जलस्रोत है। कस्बे के दक्षिण में ब्राह्मणी नदी उत्तर-पूर्व की ओर बहती है। बेगूँ का प्राचीन किला भी इसी ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है।

इस कस्बे की जलवायु सामान्यतः शुष्क है। ग्रीष्म ऋतु में यहां का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहां का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

2.2 क्षेत्रीय परिपेक्ष्य :

यह कस्बा तत्कालीन मेवाड़ राज्य की महत्वपूर्ण जागीरों में से एक रहा है। वर्तमान में यह उपखण्ड एवं तहसील मुख्यालय है। तहसील मुख्यालय के अन्तर्गत दो पंचायत समितियां बेगूँ एवं भैंसरोड़गढ़ सम्मिलित हैं। उपखण्ड मुख्यालय का क्षेत्रफल

2,327.25 वर्ग किमी. है। अपनी सहायक नदियों के साथ इस क्षेत्र की मुख्य जलधारा ब्राह्मणी नदी है। इस कस्बे के आसपास का धरातल समतल होने के कारण पैदावार की दृष्टि से समृद्ध है। यहां की मुख्य पैदावार गेहूँ, तिलहन, मक्का, मूंगफली, कपास, मैथी, अलसी, धनिया आदि है, जिससे आसपास के क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।

2.3 ऐतिहासिक :

बेगूँ कस्बे में एक पुराना किला, तीन पुराने मंदिर एवं एक दर्शनीय महल स्थित है। मंदिरों में बनेकर माता और चतुर्भुज जी के मंदिर प्रसिद्ध हैं। रियासत काल में बेगूँ 300 गांवों की जागीर थी। बेगूँ राज परिवार के संस्थापक “चुंडा” मेवाड़ के प्रसिद्ध राजकुमारों में से एक थे।

ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से बस स्टेण्ड के निकट यहां का प्राचीन दुर्ग स्थित है, जो 17वीं शताब्दी का माना जाता है। यह दुर्ग अनेक संग्रामों का साक्षी रहा है। लगभग 30 एकड़ क्षेत्र में फैले इस दुर्ग में प्रवेश के लिए कुल 8 दरवाजे थे। किले का मुख्य प्रवेश द्वार “चांदपोल” कहलाता था, जो अब जर्जर होकर गिर गया है। इस किले की रक्षा हेतु दोहरी रक्षा प्राचीर है तथा चारों ओर एक गहरी खाई बनी हुई है। प्राचीर में जगह-जगह 18 बुर्जे बनी हुई है।

सवाई मेघसिंह के शासनकाल में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। चांदपोल से दुर्ग में प्रवेश करने पर “गणेशपोल” व “भैरों पोल” आती है और फिर राजमहल का मुख्य प्रवेश द्वार “तोरण पोल” है। भीतर सामने बहुत बड़ा खुला चौक है, जो “मयूर चौक” कहलाता है। मयूर चौक से गुजरते हुए महलों के भीतर प्रवेश करते हैं। चार मंजिले इस महल में अनेक विशिष्टताओं के साथ-साथ मेवाड़ एवं मालवा का मिश्रित स्थापत्य शिल्प देखने को मिलता है। महलों में सबसे नीचे फर्शाखा, जनानी डयोढ़ी, सामने हर विलास व उसके सामने दरीखाना है। यहां सुदर्शनजी का मंदिर, द्वारकाधीश का मंदिर तथा एकलिंग मंदिर है।

बेगूँ के किले में श्वेताम्बर एवं दिगम्बर जैन मंदिर भी स्थित है। चम्बल नदी की सहायक ब्राह्मणी नदी के तट पर बसा होने के कारण बेगूँ का नैसर्गिक सौन्दर्य दर्शनीय है। कहते हैं कि पुराने समय में जब ब्राह्मणी नदी उफान पर आती थी तो तत्कालीन महारानी द्वारा नदी की पूजा की जाती थी, जिससे उफान कम पड़ जाता था। बेगूँ में नीलकण्ठेश्वर महादेव एवं लक्ष्मीनाथ के मंदिर भी धार्मिक दृष्टि से महत्व रखते हैं। कस्बे के मध्य बीच बाजार में स्थित लक्ष्मीनाथ का मंदिर काफी भव्य एवं दर्शनीय है।

बेगूँ कस्बे के दक्षिण में स्थित ब्राह्मणी नदी के पास एक “देवरा बावड़ी” एवं दो भव्य कलात्मक मंदिर तथा “दिलखुशहाल बाग” है, जिसमें झरोखों युक्त बावड़ी बनी हुई है। देवरा बावड़ी के ऊपर चारों कोनों पर चार छतरियाँ निर्मित हैं। इस बावड़ी के दोनों ओर दो प्राचीन मंदिर हैं। मान्यता के अनुसार इनका निर्माण सवाई मेघसिंह ने करवाया था। मंदिर के सभामण्डल की गोल गुंबजनुमा छत पर भी नृत्य एवं वाद्य वादन मुद्रा में बड़ी-बड़ी प्रतिमाएँ तराशी गयी हैं।

बस स्टेण्ड के निकट राव हरिसिंह द्वारा बनवाई गई उनकी भव्य कोठी के एक भाग को “हरिभवन पैलेस होटल” का रूप दे दिया गया है। होटल हरिभवन पैलेस में राजस्थानी लोकनृत्य व संगीत के कार्यक्रम भी आयोजित करवाये जाते हैं। बेगूँ कस्बे में स्थित “गौतम चित्रशाला” कला प्रेमियों के लिए दर्शनीय है।

2.4 जनांकिकी :

इस कस्बे की प्रथम जनगणना वर्ष 1901 के अनुसार जनसंख्या 3,625 थी। वर्ष 1971 तक के दशकों में जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत कम रही है। वर्ष 1911-21 की अवधि में जनसंख्या घटने का मुख्य कारण तत्कालीन समय में सम्पूर्ण राजपूताना (मेवाड़) क्षेत्र में व्याप्त प्रतिकूल जलवायु और महामारियों को माना जाता है। वर्ष 1921 के बाद कस्बे की आबादी धीरे-धीरे बढ़ती रही है।

वर्ष 1981 में कस्बे की जनसंख्या 11,340 हो गई एवं इस दशक में वृद्धि दर 35.84 प्रतिशत रही। वर्ष 1991 में कस्बे की आबादी 15,641 दर्ज की गई। इस प्रकार

वर्ष 1981-91 के दशक में सर्वाधिक वृद्धि दर 37.93 प्रतिशत रही है। जिसका कारण इस दशक में कस्बे का ग्राम पंचायत से नगरपालिका स्तर पर क्रमोन्नत होना तथा सात अतिरिक्त गांवों को मिलाकर नगरपालिका क्षेत्र का गठन होना है। इस कस्बे की जनसंख्या वृद्धि में केवल प्राकृतिक वृद्धि ही है। जनसंख्या वृद्धि अपेक्षाकृत कम अंकित होने का मुख्य कारण यहां के व्यक्तियों का देश के विभिन्न नगरों तथा क्षेत्रों में रोजगार एवं व्यापार हेतु प्रवास होना है। वर्ष 1901 से 2006 तक जनसंख्या करीब 6 गुना हो गई है। बेगूँ कस्बे की जनसंख्या एवं वृद्धि प्रवृत्ति को तालिका - 1 में दर्शाया गया है—

तालिका - 1
जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, बेगूँ - 1901-2006

वर्ष	जनसंख्या	अन्तर	वृद्धि दर प्रतिशत
1901	3,625	—	—
1911	4,385	760	+ 20.97
1921	3,837	- 548	- 12.50
1931	4,364	527	+ 13.73
1941	4,841	477	+ 10.93
1951	5,428	587	+ 12.13
1961	6,532	1,104	+ 20.34
1971	8,348	1,816	+ 27.80
1981	11,340	2,992	+ 35.84
1991	15,641	4,301	+ 37.93
2001	19,333	3,692	+ 23.60
2006*	22,330	2,997	+ 15.50

स्रोत : जनगणना, भारत सरकार एवं नगर नियोजन विभाग अनुमान*।

2.5 व्यावसायिक संरचना :

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार बेगूँ कस्बे में कार्यशील जनसंख्या का सहभागिता अनुपात 30.04 प्रतिशत तथा वर्ष 2001 में लगभग 30.00 प्रतिशत रहा है। तालिका-2 के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वर्णित वर्षों में केवल मात्र अन्य सेवाओं, व्यापार एवं वाणिज्य, गृह उद्योग तथा कृषि सम्बन्धी क्रियाओं में ही कार्य करने वालों की सहभागिता अधिक रही है। इन कार्यों में ही कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत अधिक रहा है। इसका कारण स्पष्ट है कि बेगूँ अपने पश्चय क्षेत्र (Hinterland) का प्रमुख वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक केन्द्र है तथा इसका आर्थिक आधार व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियां हैं। तालिका से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2006 में बेगूँ में अन्य सेवाओं में 1513 व्यक्ति कार्यरत थे, जो कि कुल मुख्य काम करने वालों का 23 प्रतिशत है। जबकि वर्ष 1991 में यह 22.11 प्रतिशत था। बेगूँ में व्यापार एवं वाणिज्य में कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या वर्ष 1991 में 888 थी, वहीं यह संख्या वर्ष 2006 में 1382 हो गयी, जो 21 प्रतिशत है। सर्वाधिक कामगारों का प्रतिशत कृषि एवं खनन क्षेत्र से सम्बन्धित क्रियाओं में रहा है, जो 1991 में 30.41 प्रतिशत दर्ज किया गया था लेकिन 2006 में घटकर 28.00 प्रतिशत रह गया है। तालिका-2 में वर्ष 1991, वर्ष 2001 तथा वर्ष 2006 की व्यावसायिक संरचना को दर्शाया गया है –

तालिका - 2
व्यावसायिक संरचना, बेगूँ - 1991-2001-2006

क्र. सं.	व्यवसाय	1991		2001		2006	
		कार्यरत व्यक्ति	प्रतिशत	कार्यरत व्यक्ति	प्रतिशत	कार्यरत व्यक्ति	प्रतिशत
1.	कृषि एवं खनन सम्बन्धित क्रियाएं	1,429	30.41	1,740	30.00	1,842	28.00
2.	उद्योग	875	18.62	1,044	18.00	1,185	18.00
3.	निर्माण	201	4.28	232	4.00	329	5.00
4.	व्यापार एवं वाणिज्य	888	18.90	1,160	20.00	1,382	21.00
5.	यातायात एवं संचार	267	5.68	290	5.00	329	5.00
6.	अन्य सेवाएँ	1,039	22.11	1,334	23.00	1,513	23.00
	योग	4,699	100.00	5,800	100.00	6,580	100.00
	सहभागिता अनुपात	30.04 प्रतिशत		30.00 प्रतिशत		30.40 प्रतिशत	

स्रोत : जनगणना, भारत सरकार एवं नगर नियोजन विभागीय अनुमान

2.6 विद्यमान भू-उपयोग :

बेगूँ नगरपालिका क्षेत्र 13.03 वर्ग किलोमीटर (3220 एकड़) में फैला हुआ है, जिसमें से 399 एकड़ नगरीयकृत क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। उपरोक्त नगरीय क्षेत्र में से केवल 264.70 एकड़ ही वास्तविक रूप से विकसित नगरीय क्षेत्र है और शेष क्षेत्र के अन्तर्गत रिक्त भूमि एवं जलाशय सम्मिलित हैं।

बेगूँ कस्बे में जो भी विकास हुआ है, वह अनियोजित एवं यदृच्छ रूप में हुआ है। नगरपालिका द्वारा विकसित एक-दो कॉलोनियों को छोड़कर अधिकांश विकास अनियोजित है। पुराना कस्बा उच्च घनत्व वाला, अव्यवस्थित एवं सर्पाकार तंग गलियों के साथ बसा हुआ है। जहां 'खुले स्थानों' का अभाव है। बाहरी क्षेत्र कम घनत्व वाला है। वाणिज्यिक गतिविधियां मुख्य सड़कों एवं गलियों के सहारे चल रही है, जहां पार्किंग व्यवस्था नहीं है। कस्बे में आवासीय एवं वाणिज्यिक विकास हो रहा है लेकिन वांछित योजना मानदण्डों के आनुपातिक दृष्टि से सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक तथा आमोद-प्रमोद की सुविधाओं का विकास एवं विस्तार नहीं होने के फलस्वरूप ये सुविधाएँ अपर्याप्त ही नहीं अपितु नगण्य है। ब्राह्मणी नदी का जलप्रवाह बाधित होने के कारण प्रदूषित है। कस्बे में नालियां खुली एवं अनुपयुक्त होने के कारण वर्षा ऋतु का पानी प्रायः सड़कों पर एकत्रित हो जाता है। परिसंचरण व्यवस्था भी बहुत अव्यवस्थित है तथा पुराने कस्बे में आवागमन तथा यातायात के लिए वांछित न्यूनतम सड़क मार्गाधिकार उपलब्ध न होकर सर्पाकार तथा आड़ी-तिरछी तंग गलियां ही उपलब्ध है।

कस्बे के उपखण्ड मुख्यालय होने के कारण सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोगों के अन्तर्गत क्रमशः 15.70 तथा 59.70 एकड़ भूमि है। 31.20 एकड़ भूमि परिसंचरण उपयोग में है। व्यापार एवं वाणिज्यिक क्रियाओं के अन्तर्गत 18 एकड़ भूमि है। तालिका-3 में विद्यमान भू-उपयोग वर्ष 2006 दर्शाया गया है -

तालिका-3
विद्यमान भू-उपयोग, बेगूँ - 2006

क्र.सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकृत क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	135.00	51.00	33.85
2.	वाणिज्यिक	18.00	6.80	4.50
3.	औद्योगिक	0.50	0.20	0.13
4.	राजकीय	15.70	5.95	3.93
5.	आमोद-प्रमोद	4.60	1.75	1.15
6.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	59.70	22.55	14.96
7.	परिसंचरण	31.20	11.75	7.82
	कुल विकसित क्षेत्र	264.70	100.00	66.34
8.	जलाशय	4.00	—	1.00
9.	कृषि एवं रिक्त भूमि	130.30	—	32.66
	नगरीयकृत क्षेत्र	399.00	—	100.00

स्रोत : नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण

2.6 (1) आवासीय

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कस्बे की कुल जनसंख्या 15,641 थी, जो बढ़कर वर्ष 2001 में 19,333 एवं 2006 में 22,330 हो गयी। कस्बे में वर्ष 1991 में कुल परिवारों की संख्या एवं आबाद आवासीय भवनों की संख्या क्रमशः 3004 तथा 2985 थी। लगभग 9,200 व्यक्ति पुरानी आबादी (शहर) में निवास करते हैं, जिसका आवासीय घनत्व लगभग 200 व्यक्ति प्रति एकड़ है। कहीं-कहीं यह घनत्व इससे भी अधिक है। वर्तमान में कुल 264.70 एकड़ समग्र विकसित क्षेत्र के भू-भाग में से 135 एकड़ भूमि आवासीय उपयोग में ली जा रही है, जो विकसित क्षेत्र का 51.00 प्रतिशत है। इस प्रकार वर्ष 2006 की जनसंख्या के अनुसार कस्बे का औसत सकल आवासीय घनत्व लगभग 165 व्यक्ति प्रति एकड़ है। कस्बे में पुरानी आबादी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

2.6 (1) अ आवासन

बेगूँ कस्बे की पुरानी बस्ती में अधिकांश मकानात पक्के बने हुए हैं, जो दो मंजिल तक के हैं। बाजार एवं इसके आसपास के मकान तीन अथवा चार मंजिल के भी बने हुए हैं। कस्बे के प्रमुख मोहल्ले – भट्ट मोहल्ला, हतई मोहल्ला, आंचलियों का मोहल्ला एवं नोसालियों का मोहल्ला आदि हैं।

2.6 (1) ब कच्ची बस्तियाँ

नगरपालिका क्षेत्र में 3 कच्ची बस्तियाँ बरोडिया महादेव, सूली मगरा एवं महात्मा गांधी बस्ती है। इन अनाधिकृत कच्ची बस्तियों के आने से कस्बे का पर्यावरण दूषित हो रहा है। इन बस्तियों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जाना अपेक्षित है।

2.6 (2) वाणिज्यिक

बेगूँ कस्बा उपखण्ड मुख्यालय एवं जिले का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केन्द्र है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ही यहां पर व्यवस्थित आर्थिक विकास के कारण वाणिज्यिक गतिविधियां तेजी से विकसित हुई है। पिछले दशकों में व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। पुराना शहर आबादी क्षेत्र ही यहां का मुख्य वाणिज्यिक गतिविधियों का केन्द्र है तथा यहां पर फुटकर व थोक व्यापारिक लेन-देन होता है। यहां के बाजारों में बस स्टेण्ड एवं सदर बाजार मुख्य है। नया व्यापारिक क्षेत्र बेगूँ किले के उत्तर-पश्चिम में काटून्दा रोड पर विकसित हो रहा है। कस्बे के कुल विकसित क्षेत्र का 6.80 प्रतिशत भाग वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत आता है। इन व्यापारिक प्रतिष्ठानों में मुख्यतः जनरल स्टोर, कपड़े, परचून एवं अनाज की दुकानें आदि प्रमुख हैं। कृषि उपज मण्डी काटून्दा रोड पर 23 एकड़ क्षेत्र में शहर से काफी दूर स्थित है। इस मण्डी में गेहूँ, जौ, मक्का, चना, मूंगफली, सरसों, धनिया, पोस्त, लहसन आदि जिंसों का व्यापार होता है।

2.6 (3) औद्योगिक

बेगूँ कस्बे की औद्योगिक संरचना में लघु उद्योग तथा गृह एवं सेवा उद्योग प्रमुख है। कस्बे में कोई बृहत् उद्योग नहीं है। लघु उद्योगों में सूती वस्त्र एवं दरी निर्माण, बर्फ फैक्ट्री तथा आइल मिल प्रमुख है। गृह एवं सेवा उद्योग में आटा चक्की, सुथारी, सुनारी, लुहारी कार्य, रिपेयर वर्कशाप आदि प्रमुख है। सभी लघु उद्योग तथा गृह एवं सेवा उद्योग कस्बे के मध्य आबादी क्षेत्र में स्थित हैं।

उक्त वर्णित उद्योगों में विभागीय अनुमान के अनुसार 1,044 व्यक्ति कार्यरत है, जो कुल कार्यरत व्यक्तियों का 18 प्रतिशत है। तालिका-4 में बेगूँ में कार्यरत औद्योगिक इकाईयों का विवरण दर्शाया गया है -

तालिका – 4
औद्योगिक संरचना, बेगूँ – 2006

क्र.सं.	श्रेणी	औद्योगिक इकाईयों की संख्या
1.	दरी, चदर, सूती वस्त्र निर्माण	03
2.	बर्फ फैक्ट्री	03
3.	आइल मिल	03
4.	सीमेण्ट जाली, टंकी निर्माण	04
5.	ईट उद्योग	17
6.	आटा चक्की	15
7.	सुथारी कार्य	02
8.	सुनारी कार्य	14
9.	लुहारी कार्य	05
10.	सिलाई कार्य	18
11.	हुड पोचिस, ऑटो रिपेयर	14
12.	प्रिन्टिंग प्रेस	02
13.	साईकल रिपेयर	07
14.	अन्य	11
	योग	118

2.6 (4) राजकीय – सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय :

कस्बे के उपखण्ड मुख्यालय होने से राजकीय एवं अन्य सम्बन्धित क्रियाकलापों ने नगर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 2006 में विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार बेगूँ में 26 सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय है, जिनमें 700 कर्मचारी नियोजित हैं। कस्बे में 2 केन्द्र सरकार के कार्यालय, 17 राज्य सरकार के एवं 7 अर्द्ध-राजकीय कार्यालय कार्यरत हैं। वर्तमान में इन कार्यालयों में से 17 सरकारी भवनों एवं 9 किराये के भवनों में कार्यरत है। कुल नियोजित कामगारों में फिल्ड कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। तालिका-5 में सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय व कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है –

तालिका – 5
सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय, बेगूँ – 2006

क्र. सं.	कार्यालय का प्रकार	कुल कार्यालय	कार्यालयों की संख्या		कर्मचारियों की संख्या		
			सरकारी भवन	किराये के भवन	कार्यालय कर्मचारी	फिल्ड कर्मचारी	योग
1.	केन्द्र सरकार के कार्यालय	02	01	01	06	04	10
2.	राज्य सरकार के कार्यालय	17	12	05	131	429	560
3.	अर्द्ध-सरकारी कार्यालय	07	04	03	73	57	130
	योग	26	17	09	210	490	700

स्रोत : नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण।

2.6 (5) आमोद-प्रमोद :

कस्बे में सुव्यवस्थित उद्यानों का नितान्त अभाव है। नगरपालिका के समीप एकमात्र उद्यान है। सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के सामने खुला स्थल उपलब्ध है, जहां प्रतिवर्ष दशहरा मेले का आयोजन होता है।

2.6 (6) सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ :

इस भू-उपयोग के अन्तर्गत वर्ष 2006 में 59.70 एकड़ भूमि है, जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 22.55 प्रतिशत है।

2.6 (6) अ शैक्षणिक सुविधाएँ

नगर नियोजन विभाग के सर्वेक्षण वर्ष 2006 के अनुसार नगर में 20 प्राथमिक विद्यालय, 9 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 3 सीनियर सैकण्डरी विद्यालय हैं। लगभग सभी विद्यालयों में खेल के मैदान व खुले स्थल का अभाव है। कस्बे में नगरपालिका सीमा से काफी दूर काटून्दा मार्ग पर महाविद्यालय कार्यरत है। यह कस्बे के साथ-साथ क्षेत्रीय पृष्ठ क्षेत्र को भी शैक्षणिक सुविधा प्रदान करता है। तालिका-6 में शैक्षणिक संरचना को दर्शाया गया है -

तालिका - 6

शैक्षणिक संरचना, बेगूँ - 2006

क्र. सं.	शैक्षणिक स्तर	आयु वर्ग	आयु वर्ग में विद्यालय जाने योग्य छात्र/ छात्राओं की संख्या	विद्यालयों में पंजीकृत छात्र/ छात्राओं की संख्या	विद्यालयों में पंजीकृत छात्र/ छात्राओं का प्रतिशत	प्रति विद्यालय छात्रों की औसत संख्या	विद्यालयों की संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय (1-5)	6-10	3410	2390	70.10	120	20
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय (6-8)	11-13	2700	2476	91.70	275	09
3.	माध्यमिक एवं सीनियर सैकण्डरी विद्यालय (9-12)	14-17	2210	1519	68.73	506	03
	योग		8320	6385	76.42		32

स्रोत : नगर नियोजन विभाग एवं नगरपालिका सर्वेक्षण।

2.6 (6) ब चिकित्सा सुविधाएँ :

बेगूँ कस्बे में एक राजकीय चिकित्सालय सेवारत है, जो बस स्टेण्ड के समीप स्थित है। इसमें 56 शैय्याओं की व्यवस्था है। कस्बे में आयुर्वेदिक औषधालय भी है, जिसमें शैय्याओं की सुविधा नहीं है। इसके अलावा मलमूत्र एवं खून की जांच व एक्सरे हेतु प्राइवेट लेबोरेट्री की सुविधाएँ भी राजकीय चिकित्सालय के समीप उपलब्ध है। अभी हाल में ही राज्य सरकार द्वारा खासा का खेडा राजस्व ग्राम में चिकित्सालय हेतु भूमि आवंटित की गई है। वर्ष 2006 की बेगूँ की चिकित्सा सुविधाओं को तालिका-7 में दर्शाया गया है –

तालिका – 7
चिकित्सा सुविधाएँ, बेगूँ – 2006

क्र. सं.	चिकित्सालय	राजकीय चिकित्सालय		निजी औषधालय / चिकित्सालय	
		संख्या	शैय्याएँ	संख्या	शैय्याएँ
1.	ऐलोपैथिक	1	56	3	—
2.	आयुर्वेदिक	1	—	2	—
3.	अन्य चिकित्सालय	—	—	1	—
	योग	2	56	6	—

स्रोत : नगर नियोजन विभाग, सर्वेक्षण।

2.6 (6) स सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल

बेगूँ कस्बे में एक बहुत पुराना महल है, जो आज भी अपनी उपस्थिति जीवन्त बनाये हुए हैं। कस्बे में कई धार्मिक स्थल हैं। नीलकण्ठ महादेव मंदिर, धूलखेड़ा रोड पर स्थित है। अति प्राचीन श्री लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बेगूँ कस्बे के बीच में स्थित है।

2.6 (6) द अन्य सामुदायिक सुविधाएँ

बेगूँ कस्बे में पुरानी आबादी में विभिन्न व्यापारिक बैंक कार्यरत हैं। इनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर तथा चित्तौड़गढ़ को-ऑपरेटिव बैंक सम्मिलित हैं। कस्बे में एक टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत है, जिसकी क्षमता 1200 कनेक्शन की है। वर्तमान में 1,100 कनेक्शन विभिन्न श्रेणियों को दिये हुए हैं। इनके अलावा कस्बे में लगभग 4000 मोबाइल कनेक्शन चल रहे हैं। मुख्य डाकघर किराये के भवन में कार्यरत है। बेगूँ में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के विश्राम गृह हैं। प्राइवेट गेस्ट हाउस में भी ठहरने की व्यवस्था है। कस्बे में एक छविगृह है, जो मनोरंजन का एकमात्र साधन है। कस्बे में एक सब जेल, एक पुलिस थाना तथा एक दूरदर्शन केन्द्र हैं जो राजकीय भवनों में चल रहे हैं। दूरदर्शन केन्द्र विचोर जाने वाले रास्ते पर स्थित है।

2.6 (6) य जनोपयोगी सुविधाएँ :

2.6 (6) य (i) जलापूर्ति :

कस्बे में स्वच्छ पेयजल सुविधा जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। कस्बे में पेयजल आपूर्ति के लिए मुख्य स्रोत दोराई डेम, कुआं एवं चार ट्यूबवेल हैं। पेयजल आपूर्ति की कुल क्षमता 9.00 लाख लीटर प्रतिदिन है। घरेलू उपयोग की मात्रा सबसे अधिक होने के कारण आपूर्ति का अधिकांश भाग घरेलू उपभोग में लाया जाता है। कस्बे में विभिन्न इलाकों में हैण्डपम्प भी लगे हुए हैं, जिनकी संख्या 30 है। वर्तमान समय में जलापूर्ति 45 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो रही है। वर्ष 2006 में बेगूँ के जलापूर्ति कनेक्शनों को तालिका-8 में दर्शाया गया है:-

तालिका – 8

जलापूर्ति कनेक्शनों का वितरण, बेगूँ – 2006

क्र.सं.	मद	कनेक्शनों की संख्या	कुल कनेक्शनों का प्रतिशत
1.	घरेलू	1895	77.00
2.	व्यावसायिक	362	14.70
3.	राजकीय	76	3.09
4.	पी.एस.पी.	128	5.21
	योग :	2461	100.00

स्रोत : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बेगूँ।

2.6 (6) य (ii) जल-मल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन

बेगूँ कस्बे में वर्तमान में सीवरेज व ड्रेनेज व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण गंदगी का निस्तारण विद्यमान खुली नालियों द्वारा ही होता है। सेप्टिक टैंक व सोकपिट् बहुत कम हैं। अतः कस्बे की खुली नालियों में ही जल-मल निकासी की व्यवस्था है। इससे वातावरण दूषित बना रहने के कारण बिमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है। नालियों द्वारा बहाकर ले जाया गया दूषित व गन्दा मलवा बहकर नदी में पहुंचता है एवं इस व्यवस्था के कारण नदी का पानी प्रदूषित होता रहता है।

2.6 (6) य (iii) विद्युत :

कस्बे में विद्युत व्यवस्था के रख-रखाव और विद्युत वितरण का कार्य अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा संचालित किया जाता है। विद्युत आपूर्ति कोटा थर्मल पावर प्लाण्ट से काटून्दा के ग्रिड सब-स्टेशन 33 के.वी. द्वारा प्राप्त होती है। ग्रिड सब-स्टेशन लगभग 3 एकड़ क्षेत्र में विद्यमान हैं। वर्ष 2006 में बेगूँ में विभिन्न उपयोगों में विद्युत कनेक्शनों को तालिका-9 में दर्शाया गया है –

तालिका – 9

विद्युत कनेक्शनों का वितरण, बेगूँ – 2006

क्र.सं.	मद	कनेक्शनों की संख्या	कुल कनेक्शनों का प्रतिशत
1.	घरेलू	4315	72.15
2.	व्यावसायिक	1261	21.08
3.	कृषि	297	4.96
4.	सड़क रोशनी	07	0.11
5.	जलदाय (एस.आई.पी.)	100	1.70
	योग :	5980	100.00

स्रोत : अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बेगूँ।

2.6 (6) र श्मशान एवं कब्रिस्तान :

बेगूँ कस्बे में वर्तमान में मुख्य श्मशान दौलतपुरा में स्थित है। इसके अलावा दूसरा श्मशान बडोदिया महादेव के दक्षिण पश्चिम में नदी के पास स्थित है। एक कब्रिस्तान मेघपुरा रोड पर नदी के पूर्व में स्थित है।

2.6 (7) परिसंचरण :

2.6 (7) अ यातायात व्यवस्था :

बेगूँ कस्बा कोटा, रतलाम एवं इन्दौर से सड़क मार्ग द्वारा सीधा जुड़ा हुआ है। उदयपुर, कोटा मार्गों पर वाहनों का आवागमन निरन्तर बना रहता है। बेगूँ कोटा मार्ग पर हल्के यातायात वाहनों की निरन्तरता अधिक रहती है।

2.6 (7) ब बस एवं ट्रक टर्मिनल :

कस्बे के बीच में बस स्टेण्ड स्थित है। निजी बसों के ठहरने की व्यवस्था भी इसी बस स्टेण्ड पर ही है। यह क्षेत्र यातायात की दृष्टि से बहुत ही भीड़-भाड़ वाला क्षेत्र है। पंचायत समिति द्वारा दूरदर्शन केन्द्र के पास नया बस स्टेण्ड विकसित किया जा रहा है। कस्बे में ट्रक स्टेण्ड न होने की वजह से ट्रकों को सामान्यतः मुख्य मार्गों पर ही खड़ा कर दिया जाता है। बेगूँ से गुजरने वाले ट्रकों की संख्या कम है। पुरानी आबादी में कोई निश्चित सड़क व्यवस्था नहीं है। पुरानी आबादी की तुलना में नये विकसित आबादी क्षेत्र में सड़कें अपेक्षाकृत अच्छे स्तर की बनी हुई है। पुरानी आबादी में सड़कों की चौड़ाई 10 फीट से 15 फीट के बीच हैं। कस्बे के कुल विकसित क्षेत्र का 11.75 प्रतिशत भाग ही सड़कों व अन्य परिवहन सुविधाओं के अन्तर्गत आता है।

2.6 (7) स रेल एवं हवाई सेवा

वर्तमान समय में कस्बे में रेल सुविधा तथा हवाई सेवा उपलब्ध नहीं है। निकटतम रेलवे स्टेशन पारसोली लगभग 28 किमी. दूर स्थित है। निकटतम हवाई अड्डा कोटा लगभग 120 कि.मी. दूर स्थित हैं। डबोक (उदयपुर) हवाई अड्डा बेगूँ से लगभग 170 किमी. दूर स्थित हैं।

3

नियोजन की संकल्पना

नियोजन की संकल्पना

कस्बे तथा नगर का विकास एवं उसका अस्तित्व उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ओतप्रोत होता है। वहां के रहने वाले लोगों के क्रियाकलाप, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि गतिविधियों का प्रभाव निरन्तर कस्बे के विकास पर बना रहता है। कस्बे/नगर की संरचना व प्रतिरूप निरन्तर परिवर्तनीय है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं वर्तमान परिपेक्ष में कस्बों/नगरों के विकास में काफी बदलाव आया है। पूर्व में जहां एक ओर सुरक्षा की वजह से कस्बे का विकास संघटित (कॉम्पेक्ट) था, वहीं आज यातायात के बढ़ते साधनों से प्रभावित होकर कस्बों में आबादी छितराये रूप में बसने लग गयी हैं। कस्बों में सुविधाओं की उपलब्धता के कारण गांवों से नगरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती जा रही है, फलस्वरूप कस्बों पर दबाव निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

बेगूँ कस्बे की स्थापना प्रारम्भ में चारदीवारी की मजबूत सुरक्षा में की गयी थी। अब बाहरी इलाकों में अनेक विकास जैसे सिविल लाइन्स, बाजार, खेल मैदान, विद्यालय, कार्यालय आदि स्थापित किये जा चुके हैं। कस्बों का नया विकास नियोजित रूप से नहीं हो पाया है। इसके फलस्वरूप अन्य नगरों की भांति यहां भी यदृच्छ विकास, संकुचित यातायात, असंगत उपयोग और सामुदायिक सुविधाओं का अभाव आदि अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं। अतः नगर के नियोजन का उद्देश्य इन समस्याओं को न्यूनतम करना और भविष्य में यहां के नागरिकों के रहने के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है। भौतिक नियोजन एक ऐसी पद्धति है, जिसके द्वारा नगर के भावी आकार, स्वरूप, प्रतिरूप, विकास की दिशा आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाते हैं। एक बार यदि प्रत्येक नगर के सम्बन्ध में ऐसे वृहद् निर्णय कर लिये जाते हैं तो दिन-प्रतिदिन के मसलों पर उचित समाधान हेतु इस सम्पूर्ण ढांचे के सन्दर्भ में विचार करना अत्यन्त आसान हो जाता है और इस प्रकार एक सम्पूर्ण ढांचे

के सन्दर्भ में ऐसे प्रत्येक हल का क्रियान्वयन नगर को अपने अंतिम लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाता है, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत पृथक से न तो कोई निर्णय ही लिया जा सकता है और न ही किसी कार्यक्रम को एकांकी रूप में क्रियान्वित किया जा सकता है।

नियोजन की शब्दावली में इस प्रकार के समग्र ढांचे को मास्टर प्लान की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार एक मास्टर प्लान नगर के भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों और सिद्धान्तों का एक लिखित विवरण है। इसमें भू-उपयोग योजना तथा अन्य मानचित्र होते हैं। भू-उपयोग योजना इन नीतियों और सिद्धान्तों को स्थानगत विस्तार के रूप में भाषान्तर करने की विधि है। यह वृहद् परिसंचरण व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों और कार्यों के वितरण को दर्शाता है। इस दृष्टि से मास्टर प्लान नगर प्रशासन और जनता दोनों के लिए निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं, जिन्हें सुरक्षित बनाये रखने की प्रबल जन आकांक्षा हो सकती है। अतः कतिपय मान्यताएँ निर्धारित करके उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा करनी पड़ती है। इन्हीं उद्देश्यों के अनुरूप नियोजन की नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। इन नीतियों और उद्देश्यों के संदर्भ में नियोजन के सिद्धान्तों को निर्धारित किया जाकर मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। बेगूँ नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान को बनाने की प्रक्रिया में इन सभी क्रमों की पालना की गयी है।

3.1 नियोजन की नीतियाँ :

अनुमान है कि आगामी दशकों में बेगूँ उपखण्ड मुख्यालय एवं पृष्ठ क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण कस्बा होने की वजह से यह प्रशासन, व्यापार एवं वाणिज्य और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र बना रहेगा।

3.2 नियोजन के सिद्धान्त :

बेगूँ कस्बे की बढ़ती जनसंख्या व विकास की दिशा तथा भविष्य में होने वाले वाणिज्यिक विकास के मद्देनजर भू-उपयोग के अनुरूप भूमि का आंकलन किया जाना चाहिए ताकि इसी अनुरूप समन्वित नियोजित विकास हो सके। उपरोक्त वर्णित नियोजन नीतियों की पालना हेतु नियोजन के निम्नांकित सिद्धान्त निश्चित किये गये हैं—

1. बेगूँ कस्बे में स्थित खाली भूमि पर अतिक्रमण तथा बेतरतीब विकास की प्रबल सम्भावना है। अतः इन सभी का समुचित एकीकरण करने की दृष्टि से एक समग्र विकास योजना तैयार की जानी चाहिए।
2. नये क्षेत्रों को विकसित करते समय इनके एवं नगर के पुराने क्षेत्रों के बीच भौतिक और सामाजिक रूप से उचित तारतम्य होना चाहिए। विभिन्न उपयोगों के लिए भूमि का आवंटन इस प्रकार होना चाहिए कि नगर की विभिन्न गतिविधियों के बीच में अधिक सामन्जस्य स्थापित रहे।
3. भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शहर में संगठित औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रावधान रखा जाना चाहिए जिससे कस्बे के नागरिकों को रोजगार प्राप्त हो सके व सामान्य व्यापार व व्यवसाय में वृद्धि हो। कस्बे के समीप प्रदूषण जनित उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। ताकि कस्बे के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
4. जूनी बेगूँ के भीतर स्थित क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए तथा स्थानीय व क्षेत्रीय मांग को पूरा करने हेतु उपयुक्त स्थलों पर वाणिज्यिक सुविधाओं की पदानुक्रमी पद्धति विकसित की जानी चाहिए।
5. संकड़ी सड़कों पर भारी यातायात को कम करने और अन्यत्र संचारित करने के लिए उपयुक्त स्थान संधारित कर अनाज, भवन निर्माण सामग्री, लकड़ी और

लोहा बाजार आदि जो अधिक यातायात को प्रोत्साहन देते हैं, के थोक बाजारों हेतु पर्याप्त भूमि प्रस्तावित की जानी चाहिए।

6. आवासीय घनत्व और स्वीकृत योजना मानदण्डों की पद्धति के अनुरूप संपूर्ण नगरीय क्षेत्र में सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक उपयोगिताओं और सेवाओं का विवेक सम्मत वितरण किया जाना चाहिए।
7. कस्बे के लिए परिसंचरण प्रतिरूप की एक ऐसी पदानुक्रमी व्यवस्था निश्चित की जाये कि इससे विभिन्न प्रकार की सड़कों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। भू-उपयोग योजना एवं यातायात संरचना एक-दूसरे की पूरक होनी चाहिए। क्षेत्रीय यातायात को स्थानीय यातायात से मिश्रित न होने देने के लिये बाह्य व उप मार्गों का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यमान मुख्य सड़कों के यातायात दबाव को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रस्तावित किये जावें।
8. कस्बे की परिधि पर किसी प्रकार के बेतरतीब विकास को नियंत्रित करने के उद्देश्य से स्थानीय सीमाओं के चारों ओर एक परिधि नियंत्रण पट्टी बनाई जाये। परिधि नियंत्रण पट्टी के अन्दर की ग्रामीण बस्तियों के विकास को नियंत्रित एवं नियोजित किया जाना चाहिए।
9. कस्बे में स्थित गंगापुर तालाब के उत्तर-पश्चिम तक के भू-भाग में तालाब एवं पर्यावरण की दृष्टि से कोई भी नगरीय भू-उपयोग हेतु भूमि रूपान्तरण नहीं किया जाये। इस भू-भाग को केवल कृषिगत उपयोग में ही काम में लिया जाये।
10. इस कस्बे की प्रमुख ब्राह्मणी नदी के दोनों तरफ खुले क्षेत्र हेतु भूमि रखी जाये, जिससे नदी में बाढ़ आने पर मिट्टी का कटाव एवं जनहानि को रोका जा सके।

4

भावी आकार

4 भावी आकार

4.1 जनांकिकी :

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बेगूँ कस्बे की जनसंख्या 19,333 थी। पिछले दशकों में कस्बे की सर्वाधिक वृद्धि दर 37.93 प्रतिशत 1981–1991 के दशक में दर्ज की गई थी। यह अनुमान लगाया गया है कि इस योजना अवधि में बेगूँ का विकास त्वरित गति से होता रहेगा। क्षितिज वर्ष 2033 तक इस कस्बे की जनसंख्या 51000 तक पहुंचने के अनुमान हैं। जनसंख्या वृद्धि के अनुमान लगाते समय दोनों घटक अर्थात् प्राकृतिक वृद्धि और अप्रवास को ध्यान में रखा गया है।

वर्ष 1981 से 2033 तक के लिए जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमानों को तालिका – 10 में दर्शाया गया है –

तालिका – 10
जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान, बेगूँ – 1981–2033

वर्ष	जनसंख्या	अन्तर	वृद्धि दर
1981	11,340	—	—
1991	15,641	4,301	37.93
2001	19,333	3,692	23.60
2006	22,330	2,997	15.50
2011*	26,000	3,670	16.44
2021*	35,000	9,000	34.61
2031*	47,600	12,600	36.00
2033*	51,000	3,400	7.15

* अनुमानित

स्रोत : जनगणना, भारत सरकार एवं नगर नियोजन विभाग के अनुमान।

कस्बे में चल रही सरकार/पालिका स्तर के विकास योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत विकासशील योजनाओं जैसे स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना आदि के क्रियान्वयन एवं औद्योगिक तथा वाणिज्यिक विकास के कारण नगर से हो रहे बाह्य प्रवास पर अंकुश लगेगा तथा कस्बे की जनसंख्या में अपेक्षित वृद्धि होगी।

4.2 व्यावसायिक संरचना :

वर्ष 1991 में बेगूँ कस्बे में सहभागिता अनुपात 30.04 प्रतिशत था, जो वर्ष 2001 में 30.00 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2006 में 30.40 प्रतिशत रहा। क्षितिज वर्ष 2033 में नगर की व्यावसायिक संरचना का भविष्य की आर्थिक संभावनाओं और भूतकालीन प्रवृत्तियों के आधार पर आंकलन किया गया है। अतः क्षितिज वर्ष तक कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात 32 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। वर्ष 2006 में 6580 श्रमिकों की तुलना में वर्ष 2033 में 16,320 श्रमिक होने का अनुमान है। अन्य सेवाओं के विकास और उद्योगों के विकास के सम्मिलित प्रभाव से व्यापार और वाणिज्य इस नगर की महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएँ बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त बेगूँ एक प्रशासनिक केन्द्र बना रहेगा, जिससे सेवा क्षेत्र में रोजगार की अच्छी सम्भावनाएँ बनी रहेगी। वर्ष 2033 के लिए अनुमानित व्यावसायिक संरचना को तालिका-11 में दर्शाया गया है –

तालिका – 11
व्यावसायिक संरचना, बेगूँ – 2033

क्र.सं.	व्यवसाय	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि एवं खनन संबंधित क्रियाएँ	2938	18.00
2.	उद्योग	3264	20.00
3.	निर्माण	816	5.00
4.	व्यापार एवं वाणिज्य	3754	23.00
5.	यातायात एवं संचार	1142	7.00
6.	अन्य सेवाएँ	4406	27.00
	योग	16320	100.00
	सहभागिता अनुपात	32 प्रतिशत	

स्रोत : नगर नियोजन विभाग का अनुमान।

4.3 नगरीय क्षेत्र :

बेगूँ कस्बे का मास्टर प्लान बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के अन्तर्गत बेगूँ सहित ग्यारह राजस्व ग्रामों को बेगूँ के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए अधिसूचित किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 5,830 एकड़ है। इसमें नगरीयकरण योग्य क्षेत्र एवं इसके चारों ओर अनियोजित विकास को नियोजित करने की दृष्टि से परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित 11 राजस्व ग्रामों की सूची परिशिष्ट-2 पर दी गई है।

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र :

अनुमान है कि वर्ष 2006 की 22,330 की तुलना में 2033 में बेगूँ की जनसंख्या बढ़कर 51,000 हो जाएगी। इस प्रकार नियोजन अवधि में इस कस्बे में 28,670 व्यक्ति बढ़ जायेंगे एवं प्रतिवर्ष लगभग 1062 अतिरिक्त व्यक्ति जनसंख्या में जुड़ते जायेंगे। अतः व्यक्तियों के लिए रहने, कार्य करने और अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए भूमि की आवश्यकता होगी। वर्तमान प्रवृत्ति यह इंगित करती है कि भविष्य में कस्बे का विकास मुख्यतः चित्तौड़-कोटा जाने वाली सड़क के साथ होगा। बेगूँ के नगरीय क्षेत्र की संभावित सीमाओं का निर्धारण करते समय वर्तमान भौतिक विशेषताओं को ध्यान में रखा गया है। नगर नियोजन के वांछित मानदण्डों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मुख्य कार्य/उद्देश्य हेतु भूमि की आवश्यकता का आंकलन किया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि संभावित जनसंख्या को उचित आधार पर बसाने और इसी के अनुरूप समुचित अनुपात में कार्य केन्द्रों, आवासीय क्षेत्रों और सामुदायिक केन्द्रों का प्रावधान करते हुए इन्हें उपयुक्त एवं सुविधाजनक परिसंचरण व्यवस्था के नेटवर्क से जोड़ने हेतु विभिन्न उपयोगों की आवश्यकता होगी।

4.5 योजना क्षेत्र :

सुधार एवं भावी विकास के उद्देश्य से बेगू नगरीय क्षेत्र को तीन योजना क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। ऐसा प्रस्ताव करते वक्त विकास के वर्तमान प्रतिरूप, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित मुख्य लक्षणों, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं की प्रस्तावित स्थिति और उनके पारस्परिक संबंध आदि तथ्यों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है। रोजगार, आवास, बाजार, मनोरंजन तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं की दृष्टि से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रत्येक योजना क्षेत्र आत्मनिर्भर इकाई के रूप में होगा। इन योजना क्षेत्रों को तालिका-12 में दर्शाया गया है –

तालिका – 12
योजना क्षेत्र, बेगू – 2033

क्र.सं.	योजना क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)	अनुमानित जनसंख्या
अ-	किला योजना क्षेत्र	408	20400
ब-	उपखण्ड कार्यालय योजना क्षेत्र	577	30600
	कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	985	51000
स-	परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र	4845	
	कुल अधिसूचित नगरीय क्षेत्र	5830	

स्रोत : नगर नियोजन विभाग का आंकलन।

प्रत्येक योजना क्षेत्र की सीमाओं को नगरीय क्षेत्र मानचित्र पर स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। राजस्व सीमाओं, वर्तमान विकसित क्षेत्र तथा 2033 तक प्रस्तावित विकास की सीमाओं को भी यह मानचित्र दर्शाता है। इस मानचित्र में अधिसूचित नगरीय क्षेत्र की सीमाओं को स्पष्ट किया गया है, जो 11 राजस्व गांवों को मिलाकर बनाया गया है।

अ- किला योजना क्षेत्र :

इस योजना क्षेत्र में काटून्दा-नीमच प्रमुख मार्ग के पूर्व का समस्त भाग सम्मिलित किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 408 एकड़ है तथा जिसमें 20400 जनसंख्या निवास करेगी। इस योजना क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र, थोक बाजार, भण्डार एवं गोदाम, ट्रक स्टेण्ड, बस स्टेण्ड, राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय कार्यालय, स्टेडियम, सामान्य चिकित्सालय, व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र, अन्य सामुदायिक सुविधाएँ, स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र, पार्क एवं पर्यटन/मेला स्थल की सुविधाएँ इत्यादि प्रस्तावित की गयी है।

ब- उपखण्ड कार्यालय योजना क्षेत्र :

इस योजना क्षेत्र में काटून्दा-नीमच प्रमुख मार्ग के पश्चिम का समस्त भाग सम्मिलित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 577 एकड़ है। इस योजना क्षेत्र में योजना अवधि 2033 तक 30,600 जनसंख्या निवास करेगी। इस योजना क्षेत्र में कार्यालय परिसर, सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, चिकित्सालय, खेल के मैदान, महाविद्यालय, जनोपयोगी सेवायें, स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र, अन्य सामुदायिक सुविधाएँ इत्यादि के प्रस्ताव सम्मिलित किये गये हैं।

स- परिधि नियन्त्रण पट्टी क्षेत्र :

उपरोक्त दोनों योजना क्षेत्रों तथा नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर तथा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र की सीमा के मध्य अनियंत्रित विस्तार एवं अनियोजित विकास को नियंत्रित करने के लिए परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास नियमित व नियोजित रूप से हो, इसके लिए प्रयास किये जाने आवश्यक है। ग्रामीण बस्तियों का विकास सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने नियंत्रण एवं अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 142 के अन्तर्गत किया जा सकेगा। परिधि नियंत्रण पट्टी/क्षेत्र में कृषि सेवा केन्द्र, हाइवे सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, होटल,

डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, पौधशालाएँ, रिसोर्ट, फार्म हाऊस, मोटल्स, वाटर पार्क, एम्यूजमेन्ट पार्क, कृषि आधारित लघु उद्योग यथा दुग्धशाला, फलोद्यान, पौधशाला, मुर्गीपालन तथा अन्य प्राथमिक लघु उद्योग जैसे क्रशर, ईट एवं चूना भट्टा, चमड़ा उद्योग, दाल मिल, स्टोन पॉलिशिंग उद्योग इत्यादि अनुज्ञेय होंगे। कस्बे के भावी समेकित विकास की दृष्टि से परिधि नियंत्रण पट्टी का अहम महत्व रहेगा। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 4845 एकड़ है।

5

भू-उपयोग योजना

भू-उपयोग योजना

बेगूँ कस्बे में आधार वर्ष की विद्यमान सुविधाओं का मूल्यांकन जनसंख्या तथा कस्बा स्तर पर मदवार भू-उपयोग का घनत्व द्वारा किया गया है। आधार वर्ष में कस्बा स्तर पर विकसित क्षेत्र का घनत्व 84 व्यक्ति प्रति एकड़ है तथा मदवार भू-उपयोग के तहत आवासीय घनत्व 165 व्यक्ति प्रति एकड़, वाणिज्यिक 0.80 एकड़ प्रति 1000 व्यक्ति, औद्योगिक 0.02 एकड़ प्रति 1000 व्यक्ति, राजकीय – सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय 0.70 एकड़ प्रति 1000 व्यक्ति, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक 2.67 एकड़ प्रति 1000 व्यक्ति, आमोद-प्रमोद 0.21 एकड़ प्रति 1000 व्यक्ति तथा परिसंचरण 1.40 एकड़ प्रति 1000 व्यक्ति है।

बेगूँ कस्बे का मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष 2033 के लिए विभिन्न भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित सूचनाओं, वर्तमान विकास की पद्धति, विस्तार की दिशा व बाध्यताओं, जनसंख्या वृद्धि दर, व्यावसायिक संरचना, परिसंचरण व्यवस्था तथा भूमि की उपलब्धता के मध्येनजर कस्बे के भावी विकास की रूपरेखा तैयार कर तालिकाबद्ध किया गया है तथा प्रस्तावित भू-उपयोग योजना में उद्धृत किया गया है। बेगूँ कस्बे के मास्टर प्लान का उद्देश्य अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में संतुलित, एकीकृत एवं सुनियोजित विकास की दिशा प्रदान करना है। इस प्रकार भू-उपयोग योजना विशिष्ट क्रिया-कलापों के चयन और उनके चरणबद्ध विकास के लिए माध्यम होगी।

क्षितिज वर्ष 2033 के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग योजना हेतु मदवार भू-उपयोग हेतु उपयुक्त घनत्व हेतु नॉर्म्स का आंकलन कर मदवार आधार वर्ष 2006 में भू-उपयोग में कमी/अधिकता, मदवार वर्ष 2006-2033 के दौरान अतिरिक्त जनसंख्या (28670) के लिए आवश्यकता, क्षितिज वर्ष के भू-उपयोग प्रस्तावों के फलस्वरूप आधार वर्ष के भू-उपयोग में कमी/अधिकता तथा क्षितिज वर्ष 2033 में कुल आवश्यक क्षेत्रफल एकड़ में आंकलित किया है। क्षितिज वर्ष 2033 के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग हेतु कुल 923 एकड़ भूमि विकास योग्य क्षेत्र के अधीन प्रस्तावित की गई है। फलस्वरूप कस्बा स्तर घनत्व 55 व्यक्ति प्रति एकड़ आंकलित किया गया है। उक्त विकास योग्य क्षेत्र के 48.50 प्रतिशत आवासीय, 5.60 प्रतिशत वाणिज्यिक, 4.10 प्रतिशत औद्योगिक, 2.80 प्रतिशत राजकीय – सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय, 14.30 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक, 5.90 प्रतिशत आमोद-प्रमोद तथा 18.80 प्रतिशत परिसंचरण प्रयोजनार्थ भूमि प्रस्तावित की गई है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में 923 एकड़ कुल विकास योग्य क्षेत्र में 31 एकड़ वृक्षारोपण तथा 31 एकड़ जलाशय – नदी, नाले को सम्मिलित करते हुए कुल 985 एकड़ भूमि नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में सम्मिलित की गई है, जिसे तालिका – 13 में दर्शाया गया है।

तालिका – 13
प्रस्तावित भू-उपयोग, बेगूँ – 2033

क्र.सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्रस्तावित कुल विकास योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	प्रस्तावित कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
1	आवासीय	448	48.50	45.50
2	वाणिज्यिक	52	5.60	5.30
3	औद्योगिक	38	4.10	3.90
4	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी	26	2.80	2.60
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	132	14.30	13.40
6	आमोद-प्रमोद	54	5.90	5.50
7	परिसंचरण	173	18.80	17.50
	कुल विकास योग्य क्षेत्र	923	100.00	93.70
8	वृक्षारोपण	31	—	3.15
9	जलाशय, नदी एवं नाले	31	—	3.15
	कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	985	—	100

स्रोत : नगर नियोजन विभाग का आंकलन।

5.1 आवासीय

नियोजन की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक नगरीय इकाई को स्वावलम्बी समूहों में विभाजित किया जा सकता है। जिनमें सबसे छोटे चरण को भारतीय परिवेश में मोहल्ला कहा जाता है। ऐसे मोहल्लों में सामान्यतः 50–100 परिवार निवास करते हैं। इन मोहल्लों में पारिवारिक आत्मीयता, व्यक्तिगत एवं आपसी सम्बन्धों की प्रगाढ़ता बनी रहती है। कुल मोहल्लों के समूहों को मिलाकर बनी बस्तियों को योजना इकाई कहा जाता है, जिसकी आबादी 1000–2000 होती है। ऐसी योजना के केन्द्रीय स्थल पर प्राथमिक विद्यालय एवं वाणिज्यिक सुविधा के रूप में छोटी दुकानें, लघु उद्यान, चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध होती है। इस प्रकार की चार से पांच योजना इकाईयां मिलकर एक आवासीय योजना क्षेत्र का स्वरूप ग्रहण करेगी। ऐसे प्रत्येक आवासीय योजना क्षेत्र को एक माध्यमिक विद्यालय, स्थानीय शॉपिंग सेन्टर, सार्वजनिक उद्यान और अन्य सामुदायिक सुविधाओं से परिपूर्ण किया जावेगा। इस प्रकार बेगूँ नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की 51,000 जनसंख्या को विभिन्न योजना क्षेत्रों में बांटा जायेगा। स्थानीय स्तर की विभिन्न सुविधाएँ जैसे प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, उद्यान, खेल के मैदान, शॉपिंग सेन्टर एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं का क्रियान्वयन मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप विस्तृत योजनाएँ बनाकर किया जायेगा। आवासीय उपयोग हेतु 448 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 48.50 प्रतिशत है।

कस्बे में प्रस्तावित विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में विषमताओं में संतुलन बनाने के उद्देश्य से आवासीय घनत्व को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है :

1. **आर-1** : इन आवासीय क्षेत्रों में 75 व्यक्ति से कम प्रति एकड़ आवासीय घनत्व रखा जाना प्रस्तावित है। योजना स्तर पर इन क्षेत्रों में 0.8 से 1.00 एफ.ए.आर. अनुज्ञेय होगा।

2. **आर-2** : इन आवासीय क्षेत्रों में 75 से 125 व्यक्ति प्रति एकड़ आवासीय घनत्व रखा जाना प्रस्तावित है। योजना स्तर पर इन क्षेत्रों में 1.00 से 1.20 एफ.ए.आर. अनुज्ञेय होगा।
3. **आर-3** : इन आवासीय क्षेत्रों में 125 से अधिक व्यक्ति प्रति एकड़ आवासीय घनत्व रखा जाना प्रस्तावित है। योजना स्तर पर इन क्षेत्रों में 1.20 से 1.67 एफ.ए.आर. अनुज्ञेय होगा।

भू-उपयोग मानचित्र में आवासीय क्षेत्रों के पास कार्य केन्द्र प्रस्तावित है। पुराने शहर के भीतर की आबादी का औसत 150 व्यक्ति प्रति एकड़ का उच्चतम घनत्व बना रहेगा। 75 से कम व्यक्ति प्रति एकड़ का न्यूनतम घनत्व पुराने शहर के बाहरी क्षेत्र, जो कि विकसित क्षेत्र के पास हैं, के लिए प्रस्तावित किया गया है। सामान्यतया नये आवासीय क्षेत्रों को लगभग 100 व्यक्ति प्रति एकड़ के औसत घनत्व के आधार पर विकसित किये जाने का प्रस्ताव है। क्षितिज वर्ष 2033 तक प्रस्तावित 51,000 जनसंख्या के लिए भू-उपयोग योजना में 448 एकड़ आवासीय भूमि प्रस्तावित की गई है। नगर के विकास की दिशा को ध्यान में रखते हुए काटुन्दा रोड के दोनों ओर आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं। इसके पास ही राजकीय कार्यालय, परिवहन, चिकित्सा एवं वाणिज्यिक गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं। इसी प्रकार नन्दवाई रोड के दोनों ओर भी आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं, जो इस क्षेत्र में प्रस्तावित शैक्षणिक सुविधा एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में कार्यरत लोगों के आवास के स्थान रहेंगे। पाचुन्दा रोड के पास प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र, थोक व्यापार गतिविधियों तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इसी क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं। यह प्रयास किया गया है कि विभिन्न कार्यस्थलों में कार्यरत लोगों को समीपीय क्षेत्र में ही आवासीय सुविधा उपलब्ध हो।

5.2 वाणिज्यिक :

अपने पृष्ठक्षेत्र के लिए बेगूँ वाणिज्यिक और व्यापार एवं वितरण का एक प्रमुख केन्द्र बना रहेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2033 तक कस्बे के विभिन्न वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में लगभग 3754 श्रमिक अर्थात् कुल श्रमिकों का 23 प्रतिशत नियोजित होने लगेगा। अतः इन सुविधाओं को ऐसे युक्तिसंगत ढांचे में बांटा जाना वांछित है, जिससे आवासीय क्षेत्रों से नगर केन्द्र तक यातायात न्यूनतम किया जा सके। उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक पदानुक्रमी रूप में वाणिज्यिक क्रियाओं को प्रस्तावित किया है।

वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत कुल प्रस्तावित क्षेत्र 52 एकड़ है, जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 5.60 प्रतिशत होगा। स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र, विशिष्ट एवं थोक बाजार, गोदाम एवं भण्डारण आदि प्रस्तावित भू-उपयोग योजना मानचित्र में दर्शाये गये हैं। विस्तृत योजना बनाते समय विभिन्न प्रकार की दुकानें, सर्विस सेन्टर, डाकघर तथा सामुदायिक भवन तथा स्थानीय उपयोग की दुकानें, सर्विस सेन्टर, आटा चक्की इत्यादि प्रस्तावित किये जा सकेंगे। तीन स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्रों का प्रावधान किया गया है। तालिका-14 में प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों के विवरण को दर्शाया गया है –

तालिका – 14

प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का वितरण, बेगूँ – 2033

क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल (एकड़)
1.	शहरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां	22.00 एकड़
2.	स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र (सी.सी.) 1— सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय के उत्तर में 2— नन्दवाई मार्ग पर प्रस्तावित चौराहे के पास 3— प्रस्तावित अस्पताल के दक्षिण में 4— प्रस्तावित बस स्टेण्ड के उत्तर में	3.00 एकड़ 3.50 एकड़ 3.50 एकड़ 3.00 एकड़
3.	विशिष्ट एवं थोक बाजार (ब्राह्मणी नदी के उत्तर दिशा में) अ— अनाज, दालें, फल एवं सब्जी बाजार ब— मछली एवं मीट बाजार स— अन्य थोक बाजार (लोहा, लकड़ी एवं भवन निर्माण)	4.00 एकड़ 1.00 एकड़ 4.00 एकड़
4.	गोदाम एवं भण्डारण (प्रस्तावित ट्रक स्टेण्ड के पूर्व दिशा में)	8.00 एकड़
	कुल योग	52.00 एकड़

5.2 (1) शहरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियाँ :

बेगूँ कस्बे के आन्तरिक भाग एवं प्रमुख मार्ग पर विद्यमान वाणिज्यिक गतिविधियाँ बेगूँ के दैनिक वाणिज्यिक क्रियाकलापों का एक मुख्य आधार है। इस सघन विकसित क्षेत्र में और अधिक विस्तार की संभावना नहीं है। अतः यह क्षेत्र पुराने शहर के एक मुख्य शहरी केन्द्र के रूप में अपनी सेवायें प्रदान करता रहेगा तथा शहर का मुख्य खुदरा एवं थोक वाणिज्यिक केन्द्र रूप में यथावत बना रहेगा। अन्य वाणिज्यिक क्षेत्र भी आवश्यक विस्तार के साथ यथावत बने रहेंगे। इस प्रकार इसके अन्तर्गत 22 एकड़ भूमि वाणिज्यिक उपयोग में ली जानी प्रस्तावित है।

5.2 (2) वाणिज्यिक केन्द्र (सी.सी.) :

वाणिज्यिक क्रियाओं का विकेन्द्रीयकरण करने एवं भविष्य की खुदरा बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से 13.00 एकड़ क्षेत्र में चार वाणिज्यिक केन्द्र विभिन्न स्थानों पर प्रस्तावित किये गये हैं, जिनका विवरण तालिका – 14 में दर्शाया गया है। ये प्रस्तावित वाणिज्यिक केन्द्र कस्बे के विद्यमान एवं प्रस्तावित विकसित क्षेत्रों की जनसंख्या को अपनी सेवायें प्रदान करेंगे। इसके अन्तर्गत खुदरा एवं थोक दुकानें, वाणिज्यिक कार्यालयों, सामुदायिक सभागार, पेट्रोल पम्प इत्यादि की सुविधायें प्रदान की जायेगी। इससे नागरिकों को शहरी केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

5.2 (3) विशिष्ट एवं थोक व्यापार :

कस्बे में कृषि उत्पादों एवं फल-सब्जी, मछली एवं मीट तथा लोहा, लकड़ी एवं भवन सामग्री इत्यादि के थोक व्यापार के बाजारों की स्थापना हेतु संभावित मांग को पूरा करने की दृष्टि से 9 एकड़ भूमि का प्रस्ताव ब्राह्मणी नदी के उत्तरी भाग में प्रस्तावित किया गया है। इसमें अनाज, दालें, फल एवं सब्जी बाजार हेतु 4.00 एकड़, मछली एवं मीट बाजार हेतु 1.00 एकड़ एवं अन्य थोक बाजार के लिए 4.00 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है। यह प्रस्ताव वस्तुओं के लदान के विस्तृत पैमाने पर एवं भारी यातायात के कुशल संचालन को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

5.2 (4) गोदाम एवं भण्डारण :

कस्बे की औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्तर की वर्तमान एवं भावी सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए भण्डारण एवं गोदाम के प्रावधान हेतु उपयुक्त स्थल का निर्धारण किया गया है। भू-उपयोग योजना में प्रस्तावित ट्रक स्टेण्ड के पूर्व में 8 एकड़ भूमि गोदाम एवं भण्डारण हेतु प्रस्तावित की गयी है। यह स्थल प्रस्तावित ट्रक टर्मिनल तथा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के मध्य प्रस्तावित किया गया है। जिसमें औद्योगिक वस्तुओं, अनाज, दालें, फल एवं सब्जी के भण्डारण एवं कोल्ड स्टोरेज इत्यादि की सुविधायें उपलब्ध हो सकेगी।

5.3 औद्योगिक :

वर्तमान में कस्बे के वृहत् एवं मध्यम श्रेणी की कोई औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं है। कस्बे में गृह उद्योग एवं छोटे आकार के उद्योग ही कार्यरत हैं। यह मुख्यतः पुराने कस्बे में स्थित है। गृह उद्योगों में सुनारी कार्य, जूते बनाना, कपड़े सिलना, आँटो रिपेयर, आटा चक्की आदि हैं। अधिकांश लघु औद्योगिक इकाईयां कस्बे में छितराये एवं बिखरे तरीके से स्थापित हैं। औद्योगिक इकाईयां, सार्वजनिक सुविधाओं, सेवाओं तथा संरचना के अनुकूल लाभ तब ही प्राप्त कर सकती हैं जबकि वे नियोजित क्षेत्र में कार्यरत हो। आबादी क्षेत्रों में 0 कि.मी. स्टोन के पास तथा चेंची रोड़ पर स्थित आइल मिल एवं सूती वस्त्र निर्माण तथा अन्य लघु औद्योगिक इकाईयों को असंगत भू-उपयोग के कारण नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। प्रमुख बाह्य मार्ग (पाचुन्दा मार्ग) की पश्चिम दिशा में 38 एकड़ क्षेत्र औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए प्रस्तावित किया गया है।

चमड़े के जूते बनाने, चूड़ियां, कपड़े सिलाई जैसे घरेलू उद्योगों को आवासीय तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। इन उद्योगों को अनुमति, इनके प्रारूप व निष्पादन मानक के आधार पर दी जायेगी ताकि ये किसी

प्रकार की बाधा, यातायात संकट, ध्वनिक तथा अपशिष्ट प्रबन्धन की समस्या उत्पन्न न करें।

5.4 राजकीय – सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय :

कालान्तर में भी यह कस्बा प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र बना रहेगा। अतः भू-उपयोग प्रस्तावों में इन सेवाओं के लिए पर्याप्त स्थल उपलब्ध करवाये गये हैं। वर्तमान में अधिकांश कार्यालय सरकारी भवनों में कार्यरत हैं। औद्योगिक क्षेत्र के पश्चिम में राजकीय कार्यालयों हेतु 10 एकड़ अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार कस्बे में विद्यमान एवं प्रस्तावित कुल क्षेत्र योजना अवधि 2033 तक 26 एकड़ भूमि का प्रावधान रखा गया है, जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 2.80 प्रतिशत होगा।

5.5 आमोद-प्रमोद :

5.5 (1) उद्यान, खुले स्थल, खेल के मैदान, स्टेडियम :

उद्यान एवं खुले स्थान सामान्यतया कस्बे के पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंग होते हैं परन्तु वर्तमान में कस्बे में एक भी नगर स्तर का उद्यान नहीं है। प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिए सार्वजनिक उद्यान, खुले स्थान, खेल के मैदानों तथा अन्य मनोरंजन सुविधाओं का व्यवस्थित एवं युक्तिसंगत वितरण होना चाहिए। स्थानीय स्तर एवं नगर स्तर पर विभिन्न प्रकार की मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु एक युक्तिसंगत योजना का मास्टर प्लान में प्रावधान किया गया है। काटुन्दा रोड पर प्रस्तावित बस स्टेण्ड के पास पूर्व दिशा में प्रस्तावित वाणिज्यिक केन्द्र के पास 11 एकड़ भूमि स्टेडियम हेतु तथा नन्दवाई रोड के उत्तर में 5 एकड़ भूमि नगर स्तर के उद्यान हेतु प्रस्तावित की गई है। इनके अलावा राज. सीनियर सेकेण्डरी स्कूल के पश्चिम में 3 एकड़, प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के पश्चिम में 3.5 एकड़ तथा नीलकण्ठ महादेव मन्दिर के पश्चिम में 2 एकड़ भूमि खुला क्षेत्र/उद्यान हेतु नवीन प्रावधान

प्रस्तावित किये गये हैं। विस्तृत योजनाएँ तैयार करते समय अन्य स्थानीय स्तर के उद्यानों के लिए उचित प्रावधान रखा जायेगा। पर्यावरण की दृष्टि से ब्राह्मणी नदी व नालों के आसपास संरक्षण हेतु खुली पट्टी प्रस्तावित की गई है। इस भू-उपयोग के अन्तर्गत 54 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.5 (2) अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजन :

क्लब, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए रंगमंच, पुस्तकालय, तरणताल, सामुदायिक केन्द्र आदि मनोरंजन की सुविधाओं का प्रावधान विकास योजना का अभिन्न अंग है। इन सुविधाओं की आमोद-प्रमोद के साथ शिक्षा व खेलकूद में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः आवासीय क्षेत्रों का वितरण, विकास के घनत्व, क्षेत्र की स्थानीय विशेषताओं और भविष्य के विकास की सम्भावनाओं आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इन सुविधाओं के लिए विभिन्न स्तर पर योजना बनाते समय स्थल प्रस्तावित किये जायेंगे।

5.5 (3) मेले/पर्यटन सुविधाएँ :

कस्बे में विशिष्ट मेलों के आयोजन स्थल हेतु ब्राह्मणी नदी के पास स्थित छतरियों के पास 6 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। इस स्थल को मेला स्थल, रंगमंच एवं अन्य पर्यटन सुविधा हेतु प्रस्तावित किया गया है। इससे नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ मनोरंजन उपलब्ध हो सकेगा।

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ :

कस्बे का एकीकृत विकास करने तथा नागरिकों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शैक्षणिक, मनोरंजन, चिकित्सा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों और सार्वजनिक सेवाओं जैसी सामुदायिक सुविधाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाना आवश्यक है। अतः आवासीय क्षेत्रों का वितरण, विकास के घनत्व,

क्षेत्र की स्थानीय विशेषताओं और भविष्य के विकास की संभावनाओं आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इन सुविधाओं के लिए विभिन्न स्तर के सुझाव दिये गये हैं। इस भू-उपयोग हेतु 132 एकड़ भूमि के प्रस्ताव रखे गये हैं, जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 14.30 प्रतिशत है।

5.6 (1) शैक्षणिक सुविधाएँ :

अध्ययन के लिए बेगूँ कस्बा अपने पृष्ठ क्षेत्र का एक प्रमुख केन्द्र हैं। प्राविधिक एवं तकनीकी शिक्षण सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 12 एकड़ भूमि नीलकण्ठ महादेव मन्दिर के पास नदी के दक्षिण पूर्व दिशा में प्रस्तावित की गई है, जिसमें पोलिटेक्नीक एवं अन्य तकनीकी संस्थान स्थापित किये जा सकेंगे। कस्बे में प्रस्तावित महाविद्यालय के लिये 22 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है। इसके अतिरिक्त सीनियर सैकण्डरी विद्यालय के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी की गई है। सीनियर सैकण्डरी विद्यालय हेतु एक स्थल बनेकर माताजी मन्दिर के पास प्रस्तावित किया गया है।

बेगूँ में वर्ष 2033 के लिए अनुमानित जनसंख्या अर्थात् 51,000 व्यक्तियों के लिए आवश्यक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों की संख्या आंकलित की गई है, साथ ही पुरानी आबादी क्षेत्र में कार्यरत उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने का भी प्रस्ताव है। वर्ष 2033 की प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना को तालिका-15 में दर्शाया गया है –

तालिका – 15

प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना, बेगूँ – 2033

क्र. सं.	कक्षा / स्तर	आयु वर्ग	विद्यालय जाने योग्य बालक/ बालिकाओं की संख्या	विद्यालयों में जाने वाले छात्रों का संभावित प्रतिशत	छात्रों की संख्या	अतिरिक्त विद्यालयों की संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय (1-5)	6-10	7650	95.00	7270	10
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय (6-8)	11-13	6450	85.00	10100	04
3.	माध्यमिक एवं सीनियर सैकण्डरी विद्यालय (9-12)	14-17	5430			

स्त्रोत : नगर नियोजन विभाग के अनुमान।

5.6 (2) चिकित्सा सुविधाएँ :

बेगूँ कस्बे में चिकित्सा सुविधा क्षेत्र में एक रेफरल चिकित्सालय कार्यरत है। इसमें 56 शैय्याओं की सुविधा है। कस्बे की अनुमानित जनसंख्या के मद्देनजर सामान्य चिकित्सालय का प्रस्ताव खासा का खेड़ा गांव के पास राज्य सरकार द्वारा चिकित्सालय हेतु आवंटित भूमि पर किया गया है। भू-उपयोग योजना में इस हेतु 15 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। इसके अतिरिक्त आवासीय क्षेत्रों में औषधालयों की आवश्यकता होगी, जिनका उस क्षेत्र की विस्तृत योजना बनाते समय प्रावधान कर दिया जायेगा। पशु चिकित्सालय के लिए भू-उपयोग योजना में 3.50 एकड़ भूमि का प्रावधान जाट मेघपुरा रोड के पश्चिम में किया गया है।

5.6 (3) सामाजिक/सांस्कृतिक :

सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के लिए दो स्थलों का प्रावधान रखा गया है। इनमें एक बनेकर माताजी मन्दिर के पास तथा दूसरा जाट मेघपुरा रोड पर प्रस्तावित है। इन स्थलों में विभिन्न वर्गों के लिए धर्मशाला, सूचना केन्द्र, सामुदायिक भवन, रंगमंच आदि सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाओं हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध हो सकेंगे।

5.6 (4) धार्मिक/ऐतिहासिक स्थल :

कस्बे के प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों में मुख्य स्थल यहां का किला है। जिसे पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने हेतु उचित संरक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। कस्बे में सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों का संरक्षण देवस्थान विभाग द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

5.6 (5) अन्य सामुदायिक सुविधाएँ :

कस्बे में पुलिस स्टेशन, दूरभाष केन्द्र, दूरदर्शन केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, अग्निशमन केन्द्र आदि सुविधाओं के लिए भू-उपयोग योजना 2033 में वर्तमान सात स्थलों के अलावा दो नये स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। इनमें एक प्रस्तावित स्टेडियम के पास तथा दूसरा नन्दवाई रोड के पास प्रस्तावित किया गया है।

5.6 (6) जनोपयोगी सुविधाएँ :

पीने योग्य जल की आपूर्ति, जल-मल निकास व्यवस्था और विद्युत व्यवस्था नगरीय जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं। नगर की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से इन सेवाओं पर अत्यधिक भार बढ़ गया है। अतः यह आवश्यक है कि इन समस्याओं को हल करने की दिशा में तुरन्त ध्यान दिया जावे। जनोपयोगी सुविधाओं के लिए धनोरा मार्ग पर 2 एकड़ तथा जाट मेघपुरा रोड पर 3 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.6 (6) अ जलापूर्ति :

वर्तमान में उपलब्ध संचय क्षमता और सभी उपलब्ध पेयजल स्रोतों तथा जल वितरण व्यवस्था का उनकी पूर्ण क्षमता में उपयोग किया जाना आवश्यक है। साथ ही भविष्य में बढ़ने वाली आवश्यकताओं के अनुरूप इनमें अभिवृद्धि किये जाने की भी आवश्यकता है। अतः पेयजल की अतिरिक्त आवश्यकताओं को अतिरिक्त ट्यूबवेलों एवं जलाशयों के निर्माण द्वारा और वितरण व्यवस्था में सुधार करके पूरा किया जाना प्रस्तावित है। जहां कहीं भी सम्भावनाएँ विद्यमान हों, वर्तमान में उपलब्ध व्यवस्था का विस्तार किया जा सकता है। कस्बे की पेयजल की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि करनी होगी। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भू-उपयोग योजना में किये गये प्रस्तावों के अनुरूप जल आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एक विस्तृत योजना तैयार करें।

5.6 (6) ब जल-मल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन :

राज्य के अधिकांश कस्बों की भांति बेगूँ में भी उपयुक्त जल-मल निस्तारण व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में कस्बे में खुली नालियां हैं, जिनमें जल-मल प्रवाह होता है। अतः जल-मल निस्तारण व्यवस्था का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। यह सुझाव है कि सामान्य ढलान को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय क्षेत्र से बाहर एक जल-मल निस्तारण स्थल स्थापित किया जाय। नगरपालिका कस्बे में ठोस कचरे के संग्रहण एवं निस्तारण हेतु विस्तृत प्रबन्ध योजना तैयार करे।

5.6 (6) स विद्युत :

कस्बे की जनसंख्या तथा आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत की मांग भी बढ़ेगी। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड इस कस्बे को उपयुक्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे ताकि इसकी भावी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

5.6 (7) श्मशान एवं कब्रिस्तान :

वर्तमान में स्थित कब्रिस्तानों तथा शवदाह स्थलों को अपने वर्तमान स्थलों पर ही बनाये रखने का प्रस्ताव है। इन श्मशानों एवं कब्रिस्तानों के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। भविष्य में आवश्यकतानुसार श्मशान एवं कब्रिस्तान परिधि नियंत्रण पट्टी में प्रस्तावित किये जा सकेंगे।

5.7 परिसंचरण :

यह कस्बा अपने पृष्ठ क्षेत्र के लिए एक सेवा केन्द्र का काम करता रहेगा और यहां पर उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय जैसी आर्थिक क्रियाएँ विकसित हो जायेगी। अतः कस्बे के लिए अपने प्रदेश से वस्तुओं तथा यात्रियों के लिए परिवहन एवं आवागमन हेतु एक कुशल अनुवर्ती क्रम में मार्गों की व्यवस्था की आवश्यकता है।

5.7 (1) प्रस्तावित यातायात संरचना :

कस्बे की यातायात व्यवस्था के सुगमता से संचालन हेतु विभिन्न स्तर के निम्न मार्गों का प्रस्ताव किया गया है, जिन्हें तालिका – 16 में दर्शाया गया है :-

तालिका – 16

प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार, बेगूँ – 2033

क्र. सं.	प्रस्तावित सड़क का विवरण	प्रस्तावित मार्गाधिकार (चौड़ाई फीट में)	लगभग प्रस्तावित लम्बाई कि.मी. में
अ-	1- काटुन्दा नीमच मार्ग (विद्यमान रोड)	100*	2.6
	2- काटुन्दा रोड से मण्डावरी रोड तक बाह्य मार्ग	100	2.5
	3- काटुन्दा रोड से नीमच रोड बाह्य मार्ग	100	2.5
	4- काटुन्दा रोड पर 1 किमी. स्टोन से बाह्य मार्ग तक (पूर्वी भाग में)	100	1.0
ब-	1- बाह्य मार्ग से उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से होता हुआ पुराना शहर को जोड़ने वाला विद्यमान मार्ग	80	1.6
	2- काटुन्दा रोड पर 1 किमी. स्टोन से बाह्य मार्ग तक (पश्चिमी भाग में)	80	1.0
	3- पुराना शहर से बाह्य मार्ग तक (मण्डावरी रोड की ओर)	80	1.5
	4- बाह्य मार्ग से प्रस्तावित चिकित्सालय होते हुए काटुन्दा रोड तक	80	1.5
	5- पुराना शहर से बाह्य मार्ग तक (धनोरा रोड)	80	0.8
	6- ब-4 एवं ब-5 सड़कों का लिंक रोड	80	0.1
स-	1- वन विभाग कार्यालय के उत्तर-पश्चिम से गंगापुर तालाब के दक्षिण में बाह्य मार्ग तक	60	0.2
	2- मार्ग सं. 3, 4, 5 के मिलान बिन्दु से बाह्य मार्ग तक	60	0.35
	3- मार्ग सं. ब-2 से स-2, 4 एवं 5 के मिलान बिन्दु तक	60	0.3

क्र. सं.	प्रस्तावित सड़क का विवरण	प्रस्तावित मार्गाधिकार (चौड़ाई फीट में)	लगभग प्रस्तावित लम्बाई कि.मी. में
	4- रा.उ.मा.वि. से सं. 2, 3 एवं 5 के मिलान बिन्दु तक	60	0.3
	5- मार्ग सं. 2, 3 एवं 4 के मिलान बिन्दु से स-8 तक	60	1.5
	6- मार्ग सं. 5 के पश्चिम से बाह्य मार्ग तक लिंक रोड	60	0.25
	7- काटुन्दा रोड के पश्चिम से ब-1 तक लिंक रोड	60	0.40
	8- पुराने शहर से बाह्य रोड तक (नन्दवाई मार्ग)	60	1.0
	9- काटुन्दा रोड से वर्तमान अस्पताल तक लिंक रोड	60	0.2
	10- काटुन्दा रोड के पूर्व में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर के दक्षिण से होते हुए प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र तक	60	0.7
	11- बाह्य रोड पर प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी कोने से औद्योगिक क्षेत्र के पश्चिम से होते हुए अ-4 रोड तक	60	0.6
	12- मार्ग सं. ब-4 व स-11 मार्ग को जोड़ने हेतु प्रस्तावित चिकित्सालय के दक्षिण में लिंक रोड	60	0.25
	13- काटुन्दा रोड को ब-4 मार्ग तक जोड़ने हेतु लिंक रोड	60	0.4
	14- अ-4 व स-13 सड़कों को जोड़ने हेतु लिंक रोड	60	0.15
	15- वर्तमान मण्डावरी रोड बाह्य मार्ग तक	60	0.50

* 0 कि.मी. चौराहे से सुली मगरा पुल तक 60 फीट चौड़ाई

5.7 (1) अ सड़कों का सुधार :

प्रस्ताव है कि सभी सार्वजनिक मार्ग जिन्हें प्रमुख, उप-प्रमुख और अन्य सड़कों के रूप में भू-उपयोग योजना में प्रस्तावित किया गया है, यथासम्भव प्रस्तावित चौड़ाई के होंगे किन्तु कुछ स्थानों पर कतिपय बाधाओं के कारण सड़क मार्ग को चौड़ा किया जाना सम्भव नहीं है या सड़क चौड़ी करने में भारी निवेश करना पड़े तथा अच्छी इमारतों को तोड़ना पड़े तो अपेक्षाकृत निम्न चौड़ाई को भी अपनाया जा सकेगा। प्रस्ताव है कि भविष्य में परिसंचरण प्लान के अनुरूप विकास किये जावे। आवश्यकतानुरूप बढ़ते यातायात के मध्येनजर यातायात योजना बनाकर लागू की जाये।

5.7 (1) ब प्रस्तावित चौराहा एवं चौराहा सुधार :

कस्बे में विद्यमान मुख्य चौराहों का यथासम्भव सुधार किया जाना प्रस्तावित है। भू-उपयोग योजना में निम्नलिखित चौराहों का विकास प्रस्तावित है –

तालिका – 17

प्रस्तावित प्रमुख चौराहा विकास, बेगूँ – 2033

क्र.सं.	चौराहा
1.	काटुन्दा रोड एवं बाह्य मार्ग पर चौराहा
2.	पुराना बस स्टेण्ड चौराहा
3.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास चौराहा
4.	राजकीय उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय के पास चौराहा
5.	आदर्श विद्या मंदिर के उत्तर में प्रस्तावित चौराहा
6.	प्रस्तावित चिकित्सालय के पास चौराहा
7.	बनेकर माताजी मन्दिर के उत्तर में प्रस्तावित चौराहा
8.	बाह्य मार्ग पर घनोरा रोड पर प्रस्तावित चौराहा

5.7 (1) स पार्किंग व्यवस्था :

वाणिज्यिक क्षेत्रों, प्रमुख व्यापारिक संस्थानों, बैंकों, सार्वजनिक स्थलों आदि में पार्किंग व्यवस्था का सुधार प्रस्तावित है। नवीन विकसित क्षेत्रों के योजना प्लान बनाते समय पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जायेगी जिससे निरन्तर यातायात में बाधा उत्पन्न नहीं हो।

5.7 (2) बस एवं ट्रक टर्मिनल :

बेगू कस्बे में यात्रियों की सुविधा के लिए वर्तमान में जहां बसें ठहरती हैं, वह स्थल पर्याप्त नहीं है। पंचायत समिति द्वारा दूरदर्शन केन्द्र के पास नवीन बस स्टेण्ड बनाया जा रहा है, जो पुराने शहर से दूर है। यातायात सुगमता तथा कस्बे के निवासियों के सहज पहुंच की दृष्टि से भू-उपयोग योजना में काटुन्दा रोड पर 3 एकड़ क्षेत्रफल का एक नवीन बस स्टेण्ड प्रस्तावित किया गया है। परिवहन सुविधा की दृष्टि से काटुन्दा रोड के पास बाह्य मार्ग पर 10 एकड़ क्षेत्रफल का एक ट्रक टर्मिनल प्रस्तावित किया गया है, जो प्रस्तावित भण्डारण एवं गोदाम तथा औद्योगिक क्षेत्र के समीप होने से वस्तुओं के लदान की दृष्टि से उपयुक्त स्थल है। इस ट्रक स्टेण्ड में मरम्मत की दुकानें, ऑटोमोबाइल दुकानें, वाहन स्थल, बैंक, पेट्रोल पम्प, सर्विस स्टेशन आदि सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगे।

5.7 (3) रेल एवं हवाई सेवा :

कस्बे में कोई रेल एवं हवाई सेवा उपलब्ध नहीं है। निकट भविष्य में रेलवे एवं हवाई सेवा के आने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मास्टर प्लान में कोई प्रस्ताव अभी नहीं दिये गये हैं।

5.8 परिधि नियंत्रण पट्टी :

कस्बे में अतिक्रमणों एवं अनाधिकृत विकास को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गई है। इसका

उद्देश्य प्रस्तावित नगरीय विकास को सघन बनाये रखना है। परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास नियंत्रित एवं नियोजित रूप से हो, इसके लिये प्रयास किये जाने आवश्यक है। ग्रामीण बस्तियों का विकास संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने नियंत्रण एवं अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 142 के अन्तर्गत किया जा सकेगा। परिधि नियंत्रण पट्टी/क्षेत्र में कृषि सेवा केन्द्र, हाइवे सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, होटल, डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, पौधशालाएँ, रिसोर्ट, फार्म हाउस, मोटल्स, वाटर पार्क, एम्यूजमेन्ट पार्क, कृषि आधारित लघु उद्योग यथा दुग्धशाला, फलोद्यान, पौधशाला, मुर्गीपालन तथा अन्य प्राथमिक लघु उद्योग जैसे क्रशर, ईट व चूना भट्टा, चमड़ा उद्योग, दाल मिल, स्टोन पॉलिशिंग उद्योग इत्यादि अनुज्ञेय होंगे।

6

**मास्टर प्लान
का क्रियान्वयन**

मास्टर प्लान का क्रियान्वयन

बेगूँ कस्बे के मास्टर प्लान के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि इसको कार्य रूप में परिणित किया जाये। सम्बन्धित विभाग जो कि इसके क्रियान्वयन से जुड़े हुए हैं, मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप निरन्तर कार्यशील रहते हुए समयबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से कस्बे का विकास करें एवं यह भी आवश्यक है कि विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित रखते हुए विकास कार्यों में भागीदारी निभावें। विभागों की सहभागिता के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों का प्रबन्धन, नागरिकों की सहभागिता, कानूनी प्रावधानों को लागू करना व आवश्यकतानुरूप तकनीकी मार्गदर्शन आदि घटक मास्टर प्लान प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूल आधार है।

6.1 प्रस्तावित आधार :

मास्टर प्लान के लागू होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान की एक प्रतिलिपि नगरपालिका बेगूँ को भेजी जायेगी। इस प्रकार नगरपालिका, उक्त अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रति प्राप्त होने के पश्चात् कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रसारित करेगी कि बेगूँ के नगरीय क्षेत्र के विकास कार्य उक्त मास्टर प्लान के अनुसार ही किये जायेंगे।

इस सार्वजनिक सूचना की प्रतिलिपि नगरपालिका बेगूँ द्वारा राज्य एवं केन्द्र सरकार के समस्त विभागीय कार्यालयों को सूचनार्थ भेजी जायेगी। अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतियां नगर के प्रमुख स्थलों यथा सूचना केन्द्र, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, नगरपालिका बेगूँ में आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। आम जनता उक्त मास्टर प्लान की प्रति मय मानचित्रों के कार्यालय नगरपालिका बेगूँ से निर्धारित मूल्य पर क्रय कर सकेगी।

नगरपालिका बेगूँ मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप सफल क्रियान्वयन हेतु नगर नियोजन विभाग के सहयोग से विस्तृत प्लान तैयार करेगी। जलापूर्ति, जल-मल निकास, ठोस कचरा प्रबन्धन तथा शहर यातायात प्रबन्ध एवं सड़क विकास योजना सम्बन्धित विभागों द्वारा तैयार किये जाने प्रस्तावित हैं।

नगरपालिका मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार नगर नियोजन विभाग के परामर्श से वार्षिक एवं पंचवर्षीय परियोजनाएँ तैयार कर क्रियान्वयन की कार्यवाही करेगी।

मास्टर प्लान क्रियान्वयन का दायित्व नगरपालिका बेगूँ का रहेगा। जबकि क्रियान्वयन निगरानी हेतु एक समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इस समिति के अध्यक्ष जिला कलक्टर, सदस्य अधिशाषी अभियन्ता, स्थानीय निकाय, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तथा अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बेगूँ होंगे, जबकि इसके सदस्य सचिव उप नगर नियोजक, उदयपुर होंगे। इस निगरानी समिति को अधिकार होगा कि वे समिति के विस्तार हेतु विषय विशेषज्ञों को सहयुक्त सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकेंगे। उक्त समिति की कम से कम तीन माह में एक बैठक आयोजित की जावेगी। समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के अतिरिक्त दो सदस्यों की उपस्थिति बैठक हेतु अनिवार्य होगी।

उक्त समिति द्वारा वर्ष में एक बार मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट सरकार के नगरीय विकास विभाग को भिजवाई जायेगी।

6.2 जन सहभागिता एवं जन सहयोग :

नगर का विकास अन्ततः लोगों की आशाओं एवं प्रेरणाओं पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वहां की जनता का पूर्ण सक्रिय सहयोग आवश्यक है। नागरिक जागरूकता ही नगर को सक्षम एवं स्वस्थ वातावरण

प्रदान कर सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि कस्बे की जनता मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

6.3 भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति :

बेगूँ के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोगों का निर्धारण सरकारी भूमि की उपलब्धता, खाली एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गई स्वीकृतियाँ/अनुमोदन (Commitments) को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये योजना 2033 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। सहवन से यदि पूर्व में की गई किसी स्वीकृति का समायोजन नहीं हो पाया है और ऐसी स्वीकृति नगर नियोजन विभाग या नगर नियोजन विभाग की स्वीकृति/सहमति से जारी की गई है, तो उसे समायोजित माना जावेगा। यदि स्वीकृति नगर नियोजन विभाग की सहमति से जारी नहीं की गई है तो ऐसे प्रकरण में नगर नियोजन विभाग के परीक्षणों उपरान्त नगर नियोजन विभाग की सिफारिश पर राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त समायोजित मानी जावेगी।

मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन प्रचलित पद्धति से करने का प्रयास किया गया है तथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया हो तो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही मान्य होगी। इन नदी, नालें, जलाशयों इत्यादि में किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण/नियमन/रूपान्तरण नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूख गये हो। क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

प्रस्तावित जन सुविधाओं यथा – शिक्षा, चिकित्सा, सड़के, खुले स्थल एवं जन उपयोगी सुविधाओं के विकास बाबत भूमि अवाप्त की जाये, जिससे नगर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

6.4 उपसंहार :

मास्टर प्लान भावी विकास की तस्वीर मात्र ही है, जिसकी सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है, जबकि इसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणित किया जाये। इस योजना में आगामी वर्षों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ठोस कार्यक्रम भी सम्मिलित होते हैं। बेगूँ का मास्टर प्लान तैयार करते समय एक विवेक सम्मत एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है तथा सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। नगर में नई सुविधाएँ विकसित करके, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि करके और बेगूँ को आवास की दृष्टि से स्थास्थ्यवर्धक बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही इस योजना को तैयार किया गया है।

6.5 क्रियान्वयन परियोजना :

बेगूँ कस्बे के मास्टर प्लान में कस्बे के भावी नियोजित विकास हेतु आगामी पच्चीस वर्षों (वर्ष 2033) तक के लिए विभिन्न क्रियाकलापों हेतु प्रस्ताव रखे गये हैं। मास्टर प्लान की क्रियान्विति समयबद्ध, चरणबद्ध एवं उपलब्ध संसाधनों व तत्कालीन आवश्यकता के मध्येनजर स्थानीय निकाय पंचवर्षीय योजना बनाकर उसकी सफल क्रियान्विति करें। इस प्रकार स्थानीय निकाय आगामी पच्चीस वर्षों के लिए पांच चरणों में विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श कर एक कार्यकारी योजना तैयार करेगी व मास्टर प्लान की अनुवर्ती योजना के क्रम में विस्तृत योजना प्लान तैयार करवायेगी व उसकी क्रियान्विति नियोजित विकास की दृष्टि से करवायेगी। इस प्रकार विभिन्न चरणों में आवासीय, परिवहन, वाणिज्यिक व अन्य सुविधाओं आदि का विकास करवायेगी।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959

अध्याय द्वितीय

मास्टर प्लान

3— राज्य सरकार की मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्ति :

- (1) राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जायेगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।
- (2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार, एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतने अन्य सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे।

4— मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु :

- (क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जायेंगे, जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाय तथा वह रीति उपदर्शित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है, और
- (ख) उस ढांचे के जिसमें विभिन्न जोनों की सुधार स्कीमें तैयार की जाये और आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।

5— अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :

- (1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी शासकीय रूप में कोई मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में आक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे, प्रकाशित करेगा।
- (2) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि स्थित है, मास्टर प्लान के सम्बन्ध में अभ्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।
- (3) ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अभ्यावेदनों पर जो प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अंतिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करेगा।
- (4) इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से सम्बद्ध किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में उपबन्ध किये जा सकेंगे।

6— मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना :

- (1) प्रत्येक मास्टर प्लान, तैयार किये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) राज्य सरकार, मास्टर प्लान तैयार करने के लिये नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी, जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत

मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।

- (3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए, उसी अस्वीकार कर सकेगी।

7— मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख :

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार, यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहां मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आ जायेगा।

राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के उद्घरण

THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL) RULES, 1962

[Notification No. F.4(32) LSG/A/59, dated 2.4.1962 published in the Rajasthan Gazette, Part IV-C, Extraordinary dated 8.6.1962, Page 118].

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), the State Government hereby makes the following Rules, namely :

RULES

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called "The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules, 1962".

(2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

2. Definitions - In these rules, unless the subject or context otherwise requires:

(1) "Act" means, The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959),

(2) "Trust" means a Trust as constituted under the Act,

(3) "Section" means a Section of the Act,

(4) Words and expression used but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Manner of Publication of draft Master Plan and the contents thereof under section 5 (i).

1[(1) The draft master plan prepared by the Officer or, the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, shall be published by him by making a copy thereof available for inspection at the office of the Trust

concerned and publishing a notice in the form "A" in the official Gazette and in at least two popular daily newspapers having circulation in the area inviting suggestions and objections from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of the publication of the said notice. If the officer or authority appointed under section 3 of the said Act is satisfied that response to the draft Master Plan has been inadequate, the period may be extended further for a maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objection/suggestions with respect to the draft of the Master Plan.]²

- (2) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by Officer or the authority to each of the Local Body operating in the area included in the Master Plan.
- (3) The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following maps, plans and documents, namely :
 - (a) Town Map showing General Layout of the roads and streets in the town.
 - (b) Base Map showing the Generalized existing land use pattern, such as residential, commercial, industrial, public and semi-public uses etc.
 - (c) Draft Master Plan showing broadly the proposed Land use pattern in the Urban area such as residential, commercial, industrial, public and semi-public uses etc.
 - (d) Written analysis and written statement to support the proposals.
 - (e) Any other maps, plans or matter which the officer or the authority deem fit or as the State Government may direct the officer or the authority in this regard.

4. Approval of Master Plan by the State Government under section 6 :

- 3[(1) After considering the objections, suggestions and representation which may be received by the Officer or the authority appointed under Section 3 to prepare the Master Plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council under Section 3 (2) of the Act finalise the Master Plan and submit the same]⁴ if constituted to the State Government for approval.

- (2) When the Master Plan has been approved by the State Government it shall publish in the Official Gazette, a notice in Form 'B' stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust/Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day".

-
1. Substituted by Clause 2 of Notification No. F.3(123) TP/36, dated 24.2.1970 vide C.S.R. 96 pub. in Raj . Gaz. Extra-ordin., Part IV-C, dated 24.2.1970 at page 329-331.
 2. Amended & Added vide Noti. No. F.7(19) TP/11/76 dated 21.9.1979 R.G. Pt. IV-C (i) dated 27.9.1979, page 339.
 3. Substituted by Clause 3 of Notification No. F.3(23) TP/63, dated 24.2.1970 vide G.S.R. 96 pub. in Raj . Gaz. Extra-ordin., Part IV-C, dated 24.2.1970 at page 329-331.
 4. Substituted vide No. F.9(101) UDH/111/83, dated 27.10.1983 pub. in Raj . Gaz. 4 (Ga) (i) dated 16.2.84 pages 829.

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.10 (37)नविवि/3/97

जयपुर, दिनांक : 31.12.97

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35, सन् 1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर को बेगूँ नगर के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती हैं –

क्र.सं. गांव का नाम

1.	बेगूँ	BEGUN
2.	जूनी बेगूँ	JOONI BEGUN
3.	सूली मगरा	SOOLI MAGARA
4.	खासा का खेड़ा	KHASA KA KHERA
5.	धूल खेड़ा	DHOOL KHERA
6.	प्रतापपुरा	PRATAP PURA
7.	गंगापुर	GANGAPUR
8.	किशोरपुरा	KISHORPURA
9.	पीपली खेड़ा	PEEPLI KHERA
10.	माधोपुर	MADHOPUR
11.	सूरपुर	SOORPUR

राज्यपाल की ओर से

ह.

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक:- टीपीआर/1116/मास्टर प्लान/बेगूँ

दिनांक 25-11-09

अधिसूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5 की उप धारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम, 1962 के नियम 3 के अन्तर्गत बेगूँ जिला- चित्तौड़गढ़ के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2033 का प्रारूप तैयार कर आम जनता से आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है । इस प्रारूप मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित है:-

क्र०सं०	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)
1.	बेगूँ	BEGUN
2.	जूनी बेगूँ	JOONI BEGUN
3.	सूली मगरा	SOOLI MAGARA
4.	खासा का खेड़ा	KHASA KA KHERA
5.	धूल खेड़ा	DHOOL KHERA
6.	प्रतापपुरा	PRATAP PURA
7.	गंगापुर	GANGAPUR
8.	किशोरपुरा	KISHORPURA
9.	पीपली खेड़ा	PEEPLI KHERA
10.	माधोपुर	MADHOPUR
11.	सूरपुर	SOORPUR

बेगूँ मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की समयावधि में कोई भी व्यक्ति मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को अपनी आपत्ति एवं सुझाव प्रेषित कर सकता है । आपत्तियाँ एवं सुझाव नगर पालिका, बेगूँ अथवा कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं । मास्टर प्लान के प्रारूप को उपरोक्त समयावधि में किसी भी दिन कार्यालय समय में सभा भवन, नगर पालिका, बेगूँ में देखा जा सकता है । मास्टर प्लान के इस प्रारूप से सम्बन्धित पुस्तिका एवं मानचित्र कार्यालय नगर पालिका, बेगूँ से क्य किये जा सकते हैं ।

(एन०के० अरे)

अति० मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान),
राजस्थान, जयपुर ।

o/c

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- प.10(37)नविवि/3/97

जयपुर दिनांक:

1 OCT 2010

अधिसूचना:-

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य नियम, 1962 के नियम 4) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत ये नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार में निम्नलिखित क्षेत्रों के बारे में तैयार किये गये मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया है।

"क्षेत्र का नाम"

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31.12.97 के द्वारा यथा अधिसूचित "बेगू नगरीय क्षेत्र" इस मास्टर प्लान की प्रति का निरीक्षण नगर पालिका बेगू के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।


राज्यपाल की आज्ञा से

६.

(पुरुषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी.डी. भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
6. जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बेगू।
8. रक्षित पत्रावली।


(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक